



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2005/फाल्गुन 4, 1926

No. 23]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2005/PHALGUNA 4, 1926

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2005

सं. एल-7/25(5)-2003-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सभी पिछले प्रकाशनों के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) (पहला संशोधन) विनियम, 2004 है ;

(2) ये विनियम 1.4.2005 से प्रवृत्त होंगे ;

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन -- परिभाषाएं :

(i) नए खंड (गक) का अंतःस्थापन -- मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(गक) “दिन” से 00.00 बजे से आरंभ होने वाला और 24.00 बजे समाप्त होने वाला दिन अभिप्रेत है ;’

(ii) नए खंड (छक) का अंतःस्थापन - मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(छक) “मास” से ब्रिटिश कलेंडर के अनुसार कलेंडर मास अभिप्रेत है ;’ ।

(iii) नए खंड (टक) का अंतःस्थापन - मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(टक) “कार्यदिवस” से वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन बैंक कारबार के लिए खुलते हों ;

(iv) खंड (झ) का संशोधन :- मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘(झ) “खुली पहुंच ग्राहक” से वितरण अनुज्ञापतिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्रदाय के उसके क्षेत्र में विद्युत का प्रदाय प्राप्त करने के लिए राज्य आयोग द्वारा अनुज्ञापत उपभोक्ता या उत्पादन कंपनी (जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र भी सम्मिलित है) या कोई ऐसा अनुज्ञापतिधारी जिसने खुली पहुंच प्राप्त कर ली है या प्राप्त करने के लिए आशयित है, अभिप्रेत है’,

3. मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (iii) के परंतुकों का लोप -- मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (iii) के पहले और दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

4. मूल विनियम के विनियम 6 का संशोधन -- मूल विनियम के विनियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पारेषण क्षमता के आबंटन और आरक्षण के लिए मानदंड :

“6. (i) दीर्घकालिक ग्राहक की आबंटन पूर्विकता अल्पकालिक ग्राहक की आरक्षण पूर्विकता से उच्चतर होगी ।

- (ii) प्रवर्ग (दीर्घकालिक और अल्पकालिक) के भीतर, खुली पहुंच ग्राहकों और राज्य विद्युत बोर्ड जैसी एकीकृत उपयोगिता द्वारा स्वतः उपयोग करने वालों के बीच कोई विभेद नहीं होगा ।
- (iii) अंतर-प्रादेशिक संव्यवहारों की दशा में, अल्पकालिक ग्राहकों की पारेषण क्षमता के आरक्षण में प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा तब कमी या उसे रद्द किया जाएगा यदि केंद्रीय सरकार आयात करने वाले क्षेत्र में केंद्रीय उत्पादन केंद्र या केंद्रों से विद्युत आबंटित करती है तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की राय में ऐसे आबंटन से अंतर-प्रादेशिक लिंक में संकुलन के कारण अन्यथा कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र इस खंड के अधीन अल्पकालिक ग्राहक के लिए आरक्षित पारेषण क्षमता में कमी करने या उसे रद्द करने का विनिश्चय करता है तो वह पारेषण क्षमता में कमी करने या रद्द करने के अपने विनिश्चय की सूचना यथाशीघ्र, संबद्ध अल्पकालिक ग्राहकों को देगा ।
- (iv) अल्पकालिक पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदनों पर कार्यवाही केवल तब की जाएगी यदि ऐसी अल्पकालिक पहुंच एक मास से चौथे मास तक प्रारंभ की जाती है और जो चौथे मास के बाद समाप्त न होने वाली हो, उस मास में की जाती है जिसमें पहले मास के रूप में आवेदन किया जाता है ।
- (v) उस मास में, जिसमें आवेदन किया जाता है या आगामी मास से प्रारंभ होने वाली और समाप्त होने वाली खुली पहुंच के लिए मास के उन्नीसवें दिन के पश्चात् प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली खुली पहुंच के लिए मास में प्राप्त अल्पकालिक पहुंच प्रदान करने वाले आवेदनों पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाएगा और अल्पकालिक

पहुंच पारेषण क्षमता की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, प्रदान की जाएगी ।

(vi) मास के उन्नीसवें दिन तक प्राप्त हुए अल्पकालिक पहुंच के लिए सभी ऐसे आवेदनों, जो उपरोक्त खंड (v) के अनुसार पहले आओ पहले-पाओ आधार पर कार्यवाही किए जाने के लिए अल्पकालिक पहुंच के आवेदनों से भिन्न हैं, पर अग्रिम आरक्षण के लिए उस मास के बीसवें दिन पर साथ-साथ विचार किया जाएगा और उन पर नीचे दी गई रीति में कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :-

(क) आवेदनों का अल्पकालिक पहुंच के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी पारेषण कारीडोर पर संकुलन के लिए जांच करने हेतु विश्लेषण किया जाएगा ;

(ख) यदि नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र अंतर्वर्तित किसी भी पारेषण कारीडोर पर प्रत्याशित संकुलन नहीं करता है तब आवेदकों को मात्रा और चाही गई अवधि के लिए मास के पच्चीसवें दिन तक अल्पकालिक पहुंच प्रदान की जाएगी ।

(ग) यदि नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की राय में, सभी आवेदकों को अल्पकालिक पहुंच प्रदान किए जाने से किसी अवधि के लिए अल्पकालिक पहुंच का उपयोग किए जाने वाले एक या उससे अधिक पारेषण कारीडोरों में संकुलन बढ़ाने की संभावना है तो इसके संबंध में, उनकी राय और उसके लिए कारण की सूचना मास के तेईसवें दिन को या इससे पूर्व तदनुसार आवेदकों को दी जाएगी ।

- (घ) ऊपर उपखंड (ग) के अनुसार, सूचना की प्राप्ति पर, आवेदन संकुलन की अवधि के दौरान पारेषण क्षमता की अपनी अपेक्षा में कमी कर सकेगा या उस अवधि, जब कोई संकुलन प्रत्याशित न हो, के लिए केवल पहुंच का विकल्प ले सकेगा और ऐसी परिस्थिति में मास के पच्चीसवें दिन तक तदनुसार प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को सूचित करेगा ।
- (ङ) यदि नोडल प्रादेशिक भार-प्रेषण केंद्र अल्पकालिक पहुंच के लिए उपयोग किए जाने हेतु एक या अधिक पारेषण कारीडोरों में अभी भी संकुलन की प्रत्याशा करता है तो इन विनियमों के विनियम 14 के अनुसार संकुलन पारेषण करीडोर की पारेषण क्षमता के आरक्षण के लिए मास के छब्बीसवें दिन को इलैक्ट्रानिक बोली आमंत्रित करेगा । बोली की प्रक्रिया में आवेदक की गैर-भागीदारी का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह खुल पहुंच में हितबद्ध नहीं है और उसके आवेदन पर कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
- (vii) तत्पश्चात् यदि आरक्षित पारेषण कारीडोर मास में कुछ अवधि के लिए पूर्णतः या भागतः खाली हो गया हो तो प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा ।
- (viii) खंड (iii) में उपबंधित के सिवाय, जब एक बार खुली पहुंच प्रदान की जा चुकी हो तब दीर्घकालिक ग्राहक या अल्पकालिक ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर ऐसे अन्य व्यक्ति से पश्चात्वर्ती अनुरोध प्राप्त होने के कारण नहीं बदला जाएगा ।
- (ix) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, आयोग का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् अल्पकालिक ग्राहकों के लिए पारेषण क्षमता के आरक्षण के लिए विस्तृत प्रक्रिया अधिकथित करेगा जिसमें बोली आमंत्रित करने, अग्रिम

आरक्षण, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आरक्षण और किन्हीं अन्य क्षेत्रों के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग, यदि दो क्षेत्रों के बीच प्रत्यक्ष अंतर-प्रादेशिक लिंक का संकुलन या अवरोध बढ़ता है और कोई अन्य अवशिष्ट विषय सम्मिलित है। आयोग का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त कर लेने के पश्चात् ही प्रक्रिया का और पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

5. विनियम 7 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“दीर्घकालिक खुली पहुंच की घोषणा

7. प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी पारेषण प्रणाली का उपयोग करके (जिसमें स्व-उपयोग और ऐसे असमूहित अभिकरण भी सम्मिलित हैं जो पहले एकीकृत थे) विद्यमान दीर्घकालिक ग्राहकों की घोषणा को 30 जून, 2005 तक या तो अपनी स्वयं की वेबसाइट पर संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र की वेबसाइट पर करेंगे।”

6. मूल विनियम के विनियम 13 का संशोधन

- (i) मूल विनियम के विनियम 13 के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ii) आवेदन में आवश्यक क्षमता, अंतःक्षेपण बिंदु प्राप्त करने का स्थल या के स्थल, खुली पहुंच प्राप्त करने की अवधि, व्यस्ततम भार, औसत भार जैसे ब्यौरे और ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा अधिकथित की जाए ;”

- (ii) मूल विनियम के विनियम 13 के खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iii) आवेदन के साथ केवल पांच हजार रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी :

परंतु यह कि आवेदन की तारीख को या आगामी दिन को पहुंच के लिए आवेदन की दशा में, आवेदन फीस आवेदन करने के अगले तीन कार्य दिवस के भीतर जमा की जा सकेगी ।”

7. नए विनियम 13क का अंतःस्थापन -- मूल विनियम के विनियम 13 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“अल्पकालिक पहुंच के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया :

- 13क. (i) बोली के लिए न्यूनतम कीमत इन विनियमों के विनियम 16 के अनुसार अवधारित एस टी - दर होगी ।
- (ii) बोली लगाने वाले न्यूनतम कीमत के अनुसार कीमत कोट करेंगे ।
- (iii) किसी भी बोलीकर्ता को अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की दशा में, ऐसी कीमत कोट करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो न्यूनतम कीमत से पांच गुणा अधिक हो और अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की दशा में, न्यूनतम कीमत से ढाई गुणा अधिक हो ।
- (iv) पारेषण क्षमता का आरक्षण कोट की गई कीमत के घटते हुए क्रम में किया जाएगा ।
- (v) एक या अधिक बोलीकर्ताओं द्वारा कोट की गई समान कीमत की दशा में, पारेषण क्षमता का आरक्षण आरक्षित किए जाने के लिए मांग की गई पारेषण क्षमता के अनुपात में किया जाएगा ।

- (vi) आरक्षण प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक ग्राहक उनके द्वारा मांगी गई क्षमता से अन्यून क्षमता के लिए अपने द्वारा कोट किए गए प्रभारों का संदाय करेंगे और आरक्षण किए जाने के लिए मांगी गई क्षमता के बराबर पारेषण क्षमता आरक्षण प्राप्त करने वाले अल्पकालिक ग्राहक पारेषण क्षमता का आरक्षण प्राप्त करने वाले अंतिम ग्राहक द्वारा कोट किए गए प्रभारों का संदाय करेंगे ।”

8. मूल विनियम के विनियम 14 का संशोधन -- मूल विनियम के विनियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“अल्पकालिक ग्राहक द्वारा आरक्षित पारेषण क्षमता का उपयोग न किया जाना :

- 14.(i) यदि अल्पकालिक ग्राहक आरक्षित पारेषण क्षमता का पूर्ण या उसके सारवान् भाग का उपयोग करने में असमर्थ है तो वह नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को आरक्षित पारेषण क्षमता का उपयोग करने के संबंध में, उसके लिए कारणों सहित बताएगा और वह आरक्षित पारेषण क्षमता को अभ्यर्पित कर सकेगा ।
- (ii) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र अल्पकालिक ग्राहक की आरक्षित पारेषण क्षमता में तब स्वयं कमी कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा जब ऐसा अल्पकालिक ग्राहक आरक्षित पारेषण क्षमता का बार-बार कम उपयोग करता है :

परंतु यह कि आरक्षित पारेषण क्षमता में, उस अल्पकालिक ग्राहक, जिसकी आरक्षित पारेषण क्षमता में कमी की जानी है या उसे रद्द किया जाना है, को इस खंड के अधीन पूर्व सूचना दिए बिना, कमी नहीं की जाएगी या उसे रद्द नहीं किया जाएगा ।

- (iii) ऐसा अल्पकालिक ग्राहक, जिसने खंड (i) के अधीन आरक्षित पारेषण क्षमता को अभ्यर्पित कर दिया है या जिसकी आरक्षित पारेषण क्षमता में खंड (ii) के अधीन कमी कर दी गई है या उसे रद्द कर दिया गया है, सात दिन या, यथास्थिति, अभ्यर्पित या कमी की गई या रद्द की गई अवधि, जो भी अवधि कम हो, के लिए मूल आरक्षित पारेषण क्षमता पर आधारित पारेषण प्रभारों और प्रचालन प्रभारों का वहन करेगा।

टिप्पण

इस खंड के प्रयोजन के लिए, “प्रचालन प्रभार” पद का वही अर्थ होगा जो विनियम 17 में है।

- (iv) खंड (i) के अधीन अल्पकालिक ग्राहक द्वारा अभ्यर्पण के परिणामस्वरूप या खंड (ii) के अधीन प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा आरक्षित पारेषण क्षमता में कमी या उसे रद्द करने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हो गई पारेषण क्षमता का आरक्षण इन विनियमों के अनुसार किसी अन्य अल्पकालिक ग्राहक द्वारा किया जा सकेगा।”

9. मूल विनियम के विनियम 15 का संशोधन -- मूल विनियम के विनियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“15. विद्यमान संव्यवहारों का निरूपण -- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, (पहला संशोधन) विनियम, 2005 के प्रारंभ से पूर्व किसी व्यक्ति को प्रदान की गई खुली पहुंच को उस अवधि की समाप्ति तक बाधित नहीं किया जाएगा जिसके लिए खुली पहुंच प्रदान की गई है।”

10. मूल विनियम के विनियम 16 का संशोधन -- मूल विनियमों के विनियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“पारेषण प्रभार

16. अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों को निम्नलिखित रूप में विनियमित किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए दीर्घकालिक ग्राहक द्वारा संदेय वार्षिक पारेषण प्रभारों को समुचित आयोग द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित निबंधनों और शर्तों के अनुसार अवधारित किया जाएगा और अल्पकालिक ग्राहकों से प्राप्त समायोजनीय राजस्व में कटौती करने के पश्चात् ये प्रभार दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा आपस में बांटे जाएंगे ।

(ii) अल्पकालिक ग्राहक द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों को निम्नलिखित पद्धति के अनुसार संगणित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) अंतरा-प्रादेशिक प्रणाली

$$\text{एस.टी. _रेट} = 0.25 \times [\text{टी.एस.सी./ए.वी.--सी ए पी}] / 365$$

(ख) अंतर-प्रादेशिक प्रणाली

$$\text{एस.टी. _रेट} = 0.50 [\text{टी.एस.सी./सीआईआर}] / 365$$

जहां :

एस.टी. _रेट रुपए प्रति मेगावाट प्रतिदिन में अल्पकालिक ग्राहक के लिए दर है ।

टिप्पण :

एस.टी. _ रेट को प्रत्येक प्रादेशिक पारेषण प्रणाली, अंतर-प्रादेशिक लिंक और राज्य पारेषण उपयोगिता की पारेषण प्रणाली या अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के भागरूप किसी अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए संगणित किया जाएगा और उनको लागू होगा ।

“टीएससी” से समुचित आयोग द्वारा यथा अवधारित पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए पारेषण प्रणाली के मद्दे अण्णित वार्षिक पारेषण प्रभार या वार्षिक राजस्व अभिप्रेत है ।

“ एवी _ सीएपी” से पूर्व वित्तीय वर्ष में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अंतरा-प्रादेशिक पारेषण प्रणाली द्वारा दी गई मेगावाट में औसत क्षमता अभिप्रेत है और पारेषण प्रणाली से संबद्ध उत्पादन क्षमताओं और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली द्वारा किए गए अन्य दीर्घकालिक संव्यवहारों की संविदागत क्षमताओं का योग होगा ।

“सीआईआर” से अंतर-प्रादेशिक प्रणाली की पारेषण क्षमता अभिप्रेत है ।

(iii) असंकुलन पारेषण कारीडोर की दशा में, अल्पकालिक ग्राहक द्वारा संदेय पारेषण प्रभार निम्नानुसार उदगृहीत किए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) एक ब्लाक में एक दिन में छह घंटे तक : एसटी_रेट का 1/4 ;

(ख) एक ब्लाक में एक दिन में छह घंटे से अधिक और बारह घंटे तक : एसटी_रेट का 1/2 ;

(ग) एक ब्लाक में एक दिन में बारह घंटे से अधिक और चौबीस घंटे तक : एसटी_रेट के बराबर ।

- (iv) पारेषण प्रणाली के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों का अवधारण न करना अल्पकालिक पहुंच प्रदान करने में विलंब के लिए आधार नहीं होगा और जहां किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों को अधिनियम के अधीन अवधारित नहीं किया जाता है वहां उस क्षेत्र, जिसमें पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली अवस्थित है, के लिए लागू एसटी_रेट अल्पकालिक ग्राहक के लिए प्रभारों का अवधारण करने के लिए लागू होंगे ।
- (v) प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऊपर खंड (ii) के अनुसार संगणित एसटी_रेट की घोषणा करेगा और जो एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियत रहेगी :
- (vi) यदि पारेषण प्रणाली केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता से संबंधित है तो अल्पकालिक ग्राहक से अपनी अंतरा-प्रादेशिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए एकत्रित प्रभारों का 25% और अपनी अंतर-प्रादेशिक प्रणाली के उपयोग के लिए अल्पकालिक ग्राहक से एकत्रित प्रभारों के 12.5% को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा और इन प्रभारों के शेष भाग को दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों में कटौती के मद्दे समायोजित किया जाएगा ।
- (vii) इस विनियम में विनिर्दिष्ट खुली पहुंच प्रभार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए लागू नहीं होंगे । इस क्षेत्र में अंतर-राज्यिक पारेषण के उपयोग के लिए प्रभारों को आयोग द्वारा, समय-समय पर, पृथक् आदेशों के अधीन विनियमित किया जाएगा ।

11. मूल विनियम के विनियम 17 का संशोधन -- मूल विनियम के विनियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्रचालन प्रभार

- 17.(i) प्रत्येक संव्यवहार के लिए प्रतिदिन या दिन के भाग के लिए 3000 रूपए और प्रतिदिन या दिन के भाग के लिए 1,000/- रूपए की दर से संयुक्त प्रचालन प्रभार अल्पकालिक ग्राहक द्वारा क्रमशः प्रत्येक अंतर्वर्तित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र को प्रत्येक संव्यवहार के लिए संदेय होगा ।

टिप्पण 1 :

प्रचालन प्रभार में, अनुसूचीकरण और प्रणाली प्रचालन के लिए फीस, सद्भाविक आधारों पर अनुसूची में प्रभावी पुनरीक्षण के लिए फीस और संग्रहण और प्रतिपूर्ति प्रभार सम्मिलित है ।

टिप्पण 2 :

खंड (i) के अनुसार प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संगृहीत प्रचालन प्रभार अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस और प्रभारों के अतिरिक्त होंगे ।

स्पष्टीकरण :

प्रचालन प्रभार उत्पादन कंपनी द्वारा तब संदेय होंगे जब इन विनियमों के अधीन पहुंच प्रदान की जाती है ।’

12. मूल विनियम के विनियम 19 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“19. खुली पहुंच के कारण प्रत्यक्ष ग्राहकों द्वारा रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों के संदाय और प्राप्ति को आयोग द्वारा, समय-समय पर, अनुमोदित अंतर्वलित अंतर-राज्यिक पारेषण संव्यवहारों को लागू स्कीम के अनुसार संगणित किया जाएगा।”

13. मूल विनियम के विनियम 22 का संशोधन -- मूल विनियम के विनियम 22 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए समय-अनुसूची --

22. (i) अग्रिम आरक्षण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए विनियम 6 के अधीन विहित समय अनुसूची के अतिरिक्त, पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने हेतु अपने-अपने नोडल अभिकरण द्वारा यथासंभव निम्नलिखित समय-अनुसूची का पालन किया जाएगा, अर्थात् :-

क्र. सं.	सेवा/क्रियाकलाप का प्रकार	कार्यवाही करने का अधिकतम समय
1.	अल्पकालिक सेवा (पहले आओ पहले पाओ आधार पर विचार की जाने वाली अवधि के लिए)	
	एक सप्ताह तक	2 दिन
	एक सप्ताह से अधिक	3 दिन
2.	दीर्घकालिक सेवा	
	प्रणाली को सुदृढ़ किए बिना पहुंच की साध्यता के संबंध में सूचना	30 दिन
	प्राक्कलित लागत और समापन अनुसूची के साथ प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए अध्ययन के परिणामों की सूचना	90 दिन

(ii) अगले दिन के लिए संव्यवहार :

(क) पारेषण प्रभारों, प्रचालन प्रभार और आवेदन फीस का अग्रिम संदाय करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये संदाय आवेदन करने के 3 कार्यदिवस के भीतर किए जा सकते हैं।

(ख) खुली पहुंच और अनुसूचीकरण के लिए संयुक्त अनुरोध संबद्ध राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को 3.00 बजे सायं तक भेजा जाएगा। नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र अनुसूचियों में खुली पहुंच के लिए अनुरोध को सम्मिलित करने के लिए उपाय करेगा, यदि अनुरोध बिना किसी संकुलन के कारण किया गया हो।

(ग) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों द्वारा 5.00 बजे सायं तक पहली प्रेषण अनुसूची जारी करने के पश्चात् ज्ञात उपयुक्त अधिशेष के लिए खुली पहुंच और अनुसूचीकरण के लिए संयुक्त अनुरोध नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को 10 बजे सायं तक या अधिमानतः पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र यदि अनुरोध बिना किसी संकुलन के कारण किया जा सकता है, उसे संबद्ध प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों द्वारा जारी की जाने वाली पुनरीक्षित प्रेषण अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रयास करेगा।

(iii) उसी दिन के लिए संव्यवहार :

(क) पारेषण प्रभारों, प्रचालन प्रभारों और आवेदन फीस का अग्रिम संदाय करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये संदाय आवेदन करने के 3 कार्य-दिवस के भीतर किए जा सकते हैं।

(ख) आपातकालीन की दशा में, फायदाग्राही/क्रेता उपयोगिता अल्पकालिक आपातकालीन अपेक्षा को पूरा करने के लिए उसी दिन को ऊर्जा के स्रोत का पता लगा सकते हैं और अनुरोध को संबद्ध राज्य भार प्रेषण केंद्रों के माध्यम से नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को भेज सकेगा। प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र यथाशीघ्र ऐसे आपातकालीन अनुरोध पर यथाशीघ्र और व्यवहारतः यथासाध्य सीमा तक कार्यवाही करने का प्रयास करेगा।

14. नए विनियम 23क का अंतःस्थापन -- मूल विनियम के विनियम 23 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“संक्षेपण की दशा में अल्पकालिक ग्राहकों के लिए पारेषण प्रभार

23क. किसी विशिष्ट दिन को प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पारेषण अवरोधों के कारण आरक्षित पारेषण क्षमता के 50% से अधिक के संक्षेपण की दशा में, उस दिन के लिए पारेषण प्रभार वास्तविक रूप से प्रदान की गई पारेषण क्षमता के अनुसार यथानुपात अल्पकालिक ग्राहकों द्वारा संदेय होंगे।”

15. मूल विनियम के विनियम 24 का संशोधन -- मूल विनियम के विनियम 24 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“वाणिज्यिक शर्तें :

24.(i) अल्पकालिक ग्राहक :

- (क) पारेषण प्रभार और प्रचालन प्रभार नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को मासिक आधार पर संदत्त किए जाएंगे।
- (ख) एक मास या पहुंच की अवधि, जो भी कम हो, के लिए अग्रिम संदाय पहुंच प्रदान करने के तीन कार्यदिवस भीतर किया जाएगा।

- (ग) पश्चात्वर्ती संदाय अगले मास के प्रारंभ से कम से कम एक दिन पूर्व किए जाएंगे ।
- (घ) संदाय या तो चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा जो नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के अवस्थान पर संदेय होगा, या इलेक्ट्रानिक अंतरण के माध्यम से किया जाएगा ।
- (ङ) यदि मंजूर की गई पहुंच की अवधि एक मास से अधिक होती है, तो अल्पकालिक खुली पहुंच प्रारंभ होने के सात दिन के भीतर प्रतिसंहरणीय बैकअप प्रत्यय पत्र प्रदान करेंगे ।
- (च) खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय की अप्राप्ति की दशा में, नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को अपने स्वविवेक से प्रत्यय पत्र को मंगाने या आरक्षित पारेषण क्षमता को रद्द करने का अधिकार होगा ।

(ii) दीर्घकालिक ग्राहक :

दीर्घकालिक ग्राहक के लिए वाणिज्यिक शर्तें वहीं होंगी जो विद्यमान फायदाग्राहियों को लागू होती हैं ।”

16. मूल विनियम के विनियम 25 का संशोधन - मूल विनियम के विनियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“विशेष ऊर्जा मीटर :

25. विशेष ऊर्जा मीटर प्रत्यक्ष ग्राहकों के लिए और उनकी लागत पर केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा और संनिहित ग्राहकों के लिए और उनकी लागत पर संबद्ध राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा लगाए जाएंगे ।”

17. मूल विनियम के विनियम 31 का संशोधन -- मूल विनियम के विनियम 31 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्रभारों का संग्रहण और संवितरण :

- 31.(i) दीर्घकालिक ग्राहकों के संबंध में, पारेषण प्रभार प्रत्यक्षतः अपने-अपने पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को संदेय होंगे ।
- (ii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र को संदेय प्रचालन प्रभार और अल्पकालिक ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभार नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संगृहीत और संवितरित किए जाएंगे ।
- (iii) यदि राज्य पारेषण उपयोगिता के स्वामित्वाधीन पारेषण प्रणाली का आभ्यन्तरण किया जाता है तो इन विनियमों के विनियम 16 के अधीन नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संगृहीत किए जाने वाले पारेषण प्रभार और इन विनियमों के विनियम 17 के खंड (i) के अधीन संदेय प्रचालन प्रभार में राज्य पारेषण उपयोगिता के स्वामित्वाधीन पारेषण प्रणाली के लिए प्रभार और राज्य भार प्रेषण केन्द्र को संदेय सेवा प्रभार सम्मिलित नहीं होंगे ।
- (iv) अननुसूचित विनियम प्रभार और रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों का संग्रहण और वितरण समुचित आयोग द्वारा समय-समय पर, विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और पद्धति के अनुसार शासित होगा ।”

ए. के. सचान, सचिव

टिप्पण : मूल विनियम तारीख 6.2.2004 को भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे ।

मूल विनियमों के संशोधनों को सम्मिलित करने के पश्चात्, समेकित विनियम उपाबद्ध हैं ।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2005

No. L-7/25(5)/2003-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-state Transmission) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as "the principal regulations"); namely :—

1. **Short title and commencement :** (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-state Transmission) (First Amendment) Regulations, 2005.

(2) These regulations shall come into effect on 1-4-2005.

2. **Amendment of Regulation 2 of the principal regulations—Definitions :**

(i) **Insertion of new Clause (ca).** After clause (c) of Regulation 2 of the principal regulations, the following shall be inserted, namely :—

(ii) **Insertion of new Clause (ga).** After clause (g) of Regulation 2 of the principal regulations, the following shall be inserted, namely:-

“(ga) “Month” means a calendar month as per the British calendar;”

(iii) **Insertion of new clause (ka)** after clause (k) of Regulation 2 of the principal regulations, the following shall be inserted, namely :-

(ka) “working day” means a day on which banks are open for business;

(iv) **Amendment of clause (i).** Clause (i) of Regulation 2 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:-

“Open access customer” means a consumer permitted by the State Commission to receive supply of electricity from a person other than distribution licensee of his area of supply, or a generating company (including captive generating plant) or a licensee, who has availed of or intends to avail of open access;”

3. **Omission of provisos to Clause (iii) of Regulation 4 of the principal regulations.** First and second provisos to clause (iii) of Regulation 4 of the principal regulations shall be omitted.

4. **Amendment of Regulation 6 of the principal regulations.** Regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:-

“ Criteria for Allotment and Reservation of Transmission Capacity

6. (i) Allotment priority of a long-term customer shall be higher than reservation priority of a short-term customer.
- (ii) Within a category (long-term or short-term), there shall be no discrimination between open access customers and self-use by an integrated utility like the State Electricity Board.
- (iii) In case of inter-regional transactions, reservation of transmission capacity to the short-term customer may be reduced or cancelled by the Regional Load Despatch Centre, if the Central Government allocates power from the Central Generating Station or Stations in a region to a person in another region and such allocation, in the opinion of the Regional Load Despatch Centre, cannot otherwise be implemented due to congestion in the inter-regional link. If the Regional Load Despatch Centre decides to reduce or cancel transmission capacity reserved for a short-term customer under this clause, it shall, as soon as possible, intimate the short-term customer concerned of its decision to reduce or cancel transmission capacity.

- (iv) The applications for grant of short-term access shall be processed only if such short-term access is commencing in the first month to the fourth month and is not ending beyond the fourth month, taking the month in which application is made as the first month.
- (v) The applications for grant of short-term access received in a month for open access commencing in the month in which the application is made or received after the nineteenth day of a month for open access commencing and terminating in the following month shall be treated on first-come-first-served basis, and short-term access shall be granted subject to availability of the transmission capacity.
- (vi) All applications for short-term access, other than the applications for short-term access to be processed on first-come-first-served basis in accordance with clause (v) above, received up to the nineteenth day of a month shall be considered together on the twentieth day of that month for advance reservation and shall be processed in the manner given hereunder, namely:-
 - (a) The applications shall be analysed to check for congestion on any of the transmission corridors to be used for short-term access.

- (b) In case the nodal Regional Load Despatch Centre does not anticipate congestion on any of the transmission corridors involved, the applicants shall be granted short-term access for the quantum and duration sought, latest by the twenty-fifth day of the month.
- (c) If in the opinion of the nodal Regional Load Despatch Centre, grant of short-term access to all the applicants is likely to lead to congestion in one or more of the transmission corridors to be used for short-term access for any duration, it shall inform the applicants of its opinion accordingly and the reasons therefor on or before the twenty-third day of the month.
- (d) On receipt of intimation in accordance with sub-clause (c) above, an applicant may reduce its requirement of transmission capacity during the period of congestion or opt for access only for the duration when no congestion is anticipated and in such a situation, he shall inform the nodal Regional Load Despatch Centre accordingly by the twenty-fifth day of the month.
- (e) If the nodal Regional Load Despatch Centre still anticipates congestion in one or more of the transmission corridors to be used for short-term access, it shall invite electronic-bids for

reservation of transmission capacity of the congested transmission corridor in accordance with Regulation 14 of these regulations on the twenty-sixth day of the month. Non-participation of an applicant in the bidding process shall be construed that he is no longer interested in open access and his application shall not be processed.

- (vii) In the event of a reserved transmission corridor subsequently becoming fully or partly vacant for certain duration in a month, the Regional Load Despatch Centre shall display this information in public domain on its website.
- (viii) Except as provided in clause (iii), once open access has been granted, the long-term customer or the short-term customer shall not be replaced by any other person on account of a subsequent request received from such other person.
- (ix) The Regional Load Despatch Centres shall lay down a detailed procedure for reservation of transmission capacity to the short-term customers after obtaining prior approval of the Commission, which shall include the detailed procedure for inviting bids, advance reservation, reservation on first-come-first-served basis, usage of alternate route through other regions if direct inter-regional links between two regions are

congested or constrained and any other residual matter. Any further revision of the procedure shall be carried out only after obtaining prior approval of the Commission”

5. **Amendment of Regulation 7.** Regulation 7 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:-

“Declaration of Long-term Open Access

7. Every transmission licensee shall declare the existing long-term customers using its transmission system (including self-use and use by unbundled agencies which were previously integrated) either on its website or on the website of the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre concerned latest by the thirtieth day of June 2005.”

6. **Amendment of Regulation 13 of the principal regulations.**

(i) Clause (ii) of Regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:-

“(ii) The application shall contain the details, such as capacity needed, point or points of injection, point or points of drawal, duration for availing of open access, peak load, average load and such other

additional information that may be laid down by the Regional Load Despatch Centre;"

(ii) Clause (iii) of Regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:

"(iii) The application shall be accompanied by a non-refundable application fee of Rupees five thousand only;

Provided that in case of application for access on the date of the application or on the following day, the application fee may be deposited within next three working days of making of application".

7. **Insertion of new Regulation 13 A.** After Regulation 13 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

"Bidding Process for Short-term Access

- 13A. (i) The floor price for bidding shall be the ST_RATE determined in accordance with Regulation 16 of these regulations.
- (ii) The bidders shall quote price in terms of the floor price.
- (iii) No bidder shall be allowed to quote price which is more than five times the floor price in case of intra-regional transmission system

and more than a two and a half times the floor price in case of inter-regional transmission system.

- (iv) Reservation of transmission capacity shall be made in decreasing order of the price quoted.
- (v) In case of equal price quoted by two or more bidders, the reservation of transmission capacity shall be made *pro rata* to the transmission capacity sought to be reserved.
- (vi) The short-term customer getting reservation for capacity less than the capacity sought by him shall pay the charges quoted by him and the short-term customers getting transmission capacity reservation equal to the capacity sought to be reserved, shall pay the charges quoted by the last customer getting reservation of transmission capacity."

8. **Amendment of Regulation 14 of the principal regulations.** Regulation 14 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:-

"Non-utilisation of reserved transmission capacity by Short-term Customer:

14. (i) In case a short-term customer is unable to utilise, full or substantial part of the reserved transmission capacity, he shall inform the nodal Regional Load Despatch Centre along with reasons for his inability

to utilise the reserved transmission capacity and may surrender the reserved transmission capacity.

- (ii) Notwithstanding any thing contained in these regulations, the Regional Load Despatch Centre may on its own reduce or cancel the reserved transmission capacity of a short-term customer when such a short-term customer frequently underutilises the reserved transmission capacity:

Provided that the reserved transmission capacity shall not be reduced or cancelled under this clause without a prior notice to the short-term customer whose reserved transmission capacity is sought to be reduced or cancelled.

- (iii) The short-term customer, who has surrendered the reserved transmission capacity under clause (i) or whose reserved transmission capacity has been reduced or cancelled under clause (ii), shall bear the transmission charges and the operating charge based on the original reserved transmission capacity for seven days or the period of reservation surrendered or reduced or cancelled, as the case may be, whichever period is shorter.

Note

For the purpose of this clause, the expression "operating charge" shall have the same meaning as assigned to it under Regulation 17.

- (iv) The transmission capacity becoming available as a result of surrender by the short-term customer under clause (i) or as a result

of reduction or cancellation of the reserved transmission capacity by the Regional Load Despatch Centre under clause (ii), may be reserved for any other short-term customer in accordance with these regulations."

9. **Amendment of Regulation 15 of the principal regulations.** Regulation 15 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:-

Treatment of Existing Transactions.

15. Any person granted open access before commencement of the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-state Transmission) Regulations, (First Amendment) Regulations, 2005 shall not be disturbed till expiry of the period for which open access has been granted."

10. **Amendment of Regulation 16 of the principal regulations.** Regulation 16 of the principal regulations shall be substituted as under, namely:-

Transmission Charges

16. The transmission charges for use of the transmission system of the transmission licensee for inter-state transmission shall be regulated as under, namely:-

(i) The annual transmission charges payable by a long-term customer for use of the transmission system shall be determined in accordance with the terms and conditions of tariff notified by the Appropriate Commission from time to time and after deducting the adjustable revenue received from the short-term customers, these charges shall be shared by the long-term customers.

(ii) The transmission charges payable by a short-term customer shall be calculated in accordance with the following methodology, namely:-

(a) Intra-regional system

$$ST_RATE = 0.25 \times [TSC/ Av_CAP]/ 365$$

(b) Inter-regional system

$$ST_RATE = 0.50 [TSC/ CIR]/365$$

Where:

ST_RATE is the rate for short-term customer in Rs per MW per day.

Note

ST_RATE shall be calculated and applied for each regional transmission system, inter-regional transmission link, and transmission system of the State Transmission Utility or any other transmission licensee forming part of the inter-state transmission system.

"TSC" means the annual transmission charges or annual revenue requirement on account of the transmission system for the previous financial year as determined by the Appropriate Commission.

"Av_CAP" means the average capacity in MW served by the intra-regional transmission system of the transmission licensee in the previous financial year and shall be the sum of the generating capacities connected to the transmission system and contracted capacities of other long-term transactions handled by the system of the transmission licensee.

"CIR" means the transmission capacity of the inter-regional system.

- (iii) The transmission charges payable by a short-term customer in case of uncongested transmission corridor shall be levied as under, namely :-
- (a) Up to 6 hours in a day in one block : $1/4^{\text{th}}$ of ST_RATE
- (b) More than 6 hours and up to 12 hours in a day in one block : $1/2$ of ST_RATE
- (c) More than 12 hours and upto 24 hours in a day in one block : equal to ST_RATE
- (iv) Non-determination of annual transmission charges for the transmission system shall not be a ground for delay in providing short-term access and where annual transmission charges for any transmission licensee are not determined under the Act, ST_RATE applicable for the system owned by the Central Transmission Utility of the region in which the system of transmission licensee is situate, shall be applied for determination of the charges for the short-term customer.

- (v) Every transmission licensee shall declare ST _ RATE, calculated in accordance with clause (ii) above, which shall remain fixed for a period of one year.
- (vi) If the transmission system belongs to the Central Transmission Utility or State Transmission Utility, 25% of the charges collected from the short-term customer for use of its intra-regional transmission system and 12.5% of the charges collected from the short-term customers for use of its inter-regional system shall be retained by the Central Transmission Utility or State Transmission Utility and the remaining part of these charges shall be adjusted towards reduction in the transmission charges payable by the long-term customers.
- (vii) Open access charges specified in this regulation shall not be applicable for the inter-state transmission system in North-Eastern Region. The charges for use of the inter-state transmission in this region shall be regulated under the separate orders of the Commission issued from time to time."

11 **Amendment of Regulation 17 of the principal regulations.** Regulation 17 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:-

"Operating Charge

17. (i) A composite operating charge @ Rs.3,000/- per day or part of the day and @ Rs 1,000/- per day or part of the day shall be payable by a short-

term customer for each transaction to the each of the Regional Load Despatch Centre involved and State Load Despatch Centre respectively.

Note 1

The operating charge includes fee for scheduling and system operation, fee for affecting revisions in schedule on bonafide grounds and collection and disbursement charges.

Note 2

The operating charge collected by the Regional Load Despatch Centre in accordance with Clause (i) shall be in addition to the fees and charges specified by the Commission under sub-section (4) of Section 28 of the Act.

Explanation

Operating charge shall be payable by a generating company when it is granted short-term access under these regulations."

12. **Amendment of Regulation 19 of the principal regulations.** Regulation 19 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:-

19. "The payment and receipt of the reactive energy charges by the direct customers on account of open access shall be calculated in accordance with the scheme applicable to transactions involving inter-state transmission approved by the Commission from time to time."

13. **Amendment of Regulation 22 of the principal regulations.** Regulation 22 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:-

"Time Schedule for Processing Application"

22 (i) In addition to the time schedule prescribed under regulation 6 for processing of applications for advance reservation, as far as practicable, the following time schedule shall be adhered to by the respective nodal agency for processing of the application for grant of access, namely:-

S.No.	Type of service/activity	Maximum Processing time
1.	Short-term Service (for the period to be treated on first-come-first-served basis)	
	Up to one week	2 days
	More than a week	3 days
2.	Long-term Service	
	Intimation regarding feasibility of access without system strengthening	30 days
	Intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule	90 days

(ii) Day ahead transaction:

(a) The advance payment of transmission charges, operating charge and application fee shall not be insisted upon. These payments can be made within 3 working days of making of application.

(b) A composite request for open access and scheduling shall be sent to the nodal Regional Load Despatch Centre through the State Load Despatch

Centre concerned latest by 3.00 PM. The nodal Regional Load Despatch Centre shall take steps to incorporate the request for open access in the schedules to be issued by the Regional Load Despatch Centres concerned, if the request can be accommodated without causing congestion.

(c) A composite request for open access and scheduling to utilise surpluses known after issuance of the first despatch schedule by Regional Load Despatch Centres at 5.00 PM, must be submitted to the nodal Regional Load Despatch Centre latest by 10.00 PM or preferably earlier. The nodal Regional Load Despatch Centre shall endeavour to incorporate the same in the revised despatch schedule to be issued by the Regional Load Despatch Centres concerned, if the request can be accommodated without causing congestion.

(iii) Same Day transactions

(a) The advance payment of transmission charges, operating charge and application fee shall not be insisted upon. These payments can be made within 3 working days of making of application.

- (b) In the event of emergency, the beneficiaries/buying utility may locate a source of power to meet short-term emergency requirement on the same day and forward request for open access to the nodal Regional Load Despatch Centre through the concerned State Load Despatch Centre. The Regional Load Despatch Centres shall endeavour to accommodate such emergency requests as soon as and to the extent practically feasible.

14. **Insertion of new Regulation 23A.** After Regulation 23 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

“Transmission Charges for short-term customers in case of curtailment

23A. In case of curtailment of more than 50% of the reserved transmission capacity by the Regional Load Despatch Centre on any particular day on account of transmission constraints, the transmission charges for that day shall be payable by the short-term customers on *pro rata* basis in accordance with the transmission capacity actually provided.”

15. **Amendment of Regulation 24 of the principal regulations.** Regulation 24 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:-

“Commercial Conditions

24. (i) **Short-term customers**

- (a) The transmission charges and operating charge shall be paid to the nodal Regional Load Despatch Centre on monthly basis.

- (b) Advance payment for one month or period of access, whichever period is shorter, shall be made within three working days of grant of access.
- (c) Subsequent payments shall be made at least one day before beginning of next month.
- (d) Payment shall be made either through cheque/demand draft payable at the location of the nodal Regional Load Despatch Centre or through electronic transfer.
- (e) If duration of access granted exceeds one month, the short-term customer shall provide an irrevocable back up letter of credit within seven days of commencement of open access.
- (f) In case of non-receipt of payment within the period specified in clause (b) or (c) above, the nodal Regional Load Despatch Centre shall, in its discretion, have the right to invoke the letter of credit or cancel the reserved transmission capacity.

(ii) Long-term customers

The commercial conditions for the long-term customer shall be same as applicable to the existing beneficiaries."

16. **Amendment of Regulation 25 of the principal regulations.** Regulation 25 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:-

“Special Energy Meters

25. The Special Energy Meters shall be installed by the Central Transmission Utility for and at the cost of the direct customers and by the concerned State Transmission Utility for and at the cost of the embedded customers.”

17. **Amendment of Regulation 31 of the principal regulations.** Regulation 31 of the principal regulations shall be substituted as hereunder, namely:-

“Collection and Disbursement of Charges

31. (i) The transmission charges in respect of the long-term customers shall be payable directly to the respective transmission licensee.
- (ii) The operating charge and the transmission charges payable by the short-term customers shall be collected and disbursed by the nodal Regional Load Despatch Centre.
- (iii) In case the transmission system owned by the State Transmission Utility is internalised, the transmission charges under Regulation 16 of these regulations and the operating charge payable under clause (i) of Regulation 17 to be collected by the nodal Regional Load Despatch Centre, shall not include the charges for the transmission system owned by the State Transmission Utility and operating charge payable to the State Load Despatch Centre.

- (iv) The collection and disbursement of the unscheduled inter-change charges and the reactive energy charges shall be governed in accordance with the procedure and methodology specified by the Commission from time to time."

A.K. SACHAN, Secy.

[ADVT. III/IV/150/2004/Exty.]

Note :

The principal regulations were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 6-2-2004.

The consolidated regulations, after incorporating the amendments to the Principal regulations are annexed.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2004

सं. एल-7/25(4)-2003.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सभी पिछले प्रकाशनों के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2004 है ;

- (ii) (क) ये विनियम, विनियम 6 के खंड (iii) के सिवाय, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख प्रवृत्त होंगे ;

(ख) इन विनियमों के विनियम 6 का खंड (iii), इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त होगा और 90 दिनों की इस अवधि के दौरान, अल्पकालिक ग्राहकों के लिए आरक्षण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा ;

परन्तु यह कि ऐसे आरक्षण की अवधि इस विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिनों की अवधि से अधिक नहीं होगी ।

परिभाषाएं

2. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

- (ख) “आबंटित पारेषण क्षमता” से प्रसामान्य परिस्थितियों के अधीन अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली पर दीर्घकालिक ग्राहक को अनुज्ञात विनिर्दिष्ट अंतःक्षेपण स्थान और प्राप्त करने के स्थल के बीच मेगावाट में ऊर्जा का अंतरण अभिप्रेत है और “पारेषण क्षमता का आबंटन” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;
- (ग) “आयोग” से अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;
- (गक) “दिन” से 00.00 बजे से आरंभ होने वाला और 24.00 बजे समाप्त होने वाला दिन अभिप्रेत है ;
- (घ) “प्रत्यक्ष ग्राहक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं की या केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रचालित प्रणाली से संबद्ध हो ;
- (ङ) “संनिहित ग्राहक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष ग्राहक न हो ;
- (च) “विद्यमान फायदाग्राही” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र से स्थायी आबंटन किया गया हो और जिसने केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता के साथ थोक विद्युत पारेषण करार किया हो ;
- (छ) “ग्रिड कोड” से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है और उसमें इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को लागू भारतीय विद्युत ग्रिड कोड सम्मिलित है ;
- (छक) “मास” से ब्रिटिश कलेंडर के अनुसार कलेंडर मास अभिप्रेत है ;
- (ज) “नोडल अभिकरण” से इन विनियमों के विनियम 8 में परिभाषित नोडल अभिकरण अभिप्रेत है ;
- (झ) “खुली पहुंच ग्राहक” से प्रदाय के उसके क्षेत्र के वितरण अनुज्ञापतिधारी से भिन्न, किसी व्यक्ति से विद्युत का प्रदाय करने के लिए राज्य आयोग द्वारा अनुज्ञात उपभोक्ता अभिप्रेत है और उत्पादन कंपनी तथा अनुज्ञापतिधारी में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसने खुली पहुंच प्राप्त कर ली है या प्राप्त करना चाहता है ;
- (ञ) “पारेषण ग्राहक” से ऐसा कोई व्यक्ति, जिसमें खुली पहुंच ग्राहक भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है जो पारेषण अनुज्ञापतिधारी की पारेषण प्रणाली का उपयोग करता है ;

- (ट) “आरक्षित पारेषण क्षमता” से पारेषण प्रणाली की उपलभ्यता पर निर्भर करते हुए, पारेषण प्रणाली पर अल्पकालिक ग्राहक को अनुज्ञात विनिर्दिष्ट अंतःक्षेपण स्थान और प्राप्त करने के स्थल के बीच मेगावाट में ऊर्जा का अंतरण अभिप्रेत है और “पारेषण क्षमता का आरक्षण” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;
- (टक) “कार्यदिवस” से वह दिन अभिप्रेत है जिसको बैंक कारखार के लिए खुलते हों ;
- (ठ) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या ग्रिड कोड में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो, यथास्थिति, अधिनियम या ग्रिड कोड में हैं ।

लागू होने का विस्तार

3. ये विनियम अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की खुली पहुंच के लिए लागू होंगे ।

पारेषण ग्राहकों का प्रवर्गीकरण

4. (i) पारेषण ग्राहकों को दो प्रवर्गों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) दीर्घकालिक ग्राहक ; और

(ख) अल्पकालिक ग्राहक ।

(ii) ऐसे व्यक्ति, जो पचीस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए खुली पहुंच प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, दीर्घकालिक ग्राहक होंगे :

परन्तु यह कि स्वयं की या केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रचालित प्रादेशिक पारेषण प्रणाली के विद्यमान फायदाग्राही इन विनियमों के प्रयोजन के लिए स्वयं या केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रचालित विशिष्ट प्रादेशिक प्रणाली के दीर्घकालिक ग्राहक समझे जाएंगे ।

(iii) दीर्घकालिक ग्राहक से भिन्न पारेषण ग्राहक अल्पकालिक ग्राहक होंगे :

पारेषण पहुंच अनुज्ञात करने के लिए मानदंड

5. (i) दीर्घकालिक पहुंच ग्रिड कोड में अनुबद्ध पारेषण योजना मानदंड के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी ।

(ii) अल्पकालिक पहुंच तब अनुज्ञात की जाएगी, यदि निम्नलिखित का उपयोग करने के लिए अनुरोध किया जाता है,—

(व) अंतर्निहित डिजाइन मार्जिन ;

(ख) विद्युत प्रवाह में परिवर्तन के कारण उपलब्ध मार्जिन ; और

(ग) भावी भार वृद्धि करने के लिए स्थापित इन विल्ट स्पेयर पारेषण क्षमता के कारण उपलब्ध मार्जिन ।

पारेषण क्षमता के आबंटन और आरक्षण के लिए मानदंड

6. (i) दीर्घकालिक ग्राहक की आबंटन पूर्विकता अल्पकालिक ग्राहक की आरक्षण पूर्विकता से उच्चतर होगी ।
- (ii) प्रवर्ग (दीर्घकालिक और अल्पकालिक) के भीतर, खुली पहुंच ग्राहकों और राज्य विद्युत बोर्ड जैसी एकीकृत उपयोगिता द्वारा स्वतः उपयोग करने वालों के बीच कोई विभेद नहीं होगा ।
- (iii) अंतर-प्रादेशिक संव्यवहारों की दशा में, अल्पकालिक ग्राहकों की पारेषण क्षमता के आरक्षण में प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा तब कमी या उसे रद्द किया जाएगा यदि केंद्रीय सरकार आयात करने वाले क्षेत्र में केंद्रीय उत्पादन केंद्र या केंद्रों से विद्युत आबंटित करती है तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की राय में ऐसे आबंटन से अंतर-प्रादेशिक लिंक में संकुलन के कारण अन्यथा कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । यदि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र इस खंड के अधीन अल्पकालिक ग्राहक के लिए आरक्षित पारेषण क्षमता में कमी करने या उसे रद्द करने का विनिश्चय करता है तो वह पारेषण क्षमता में कमी करने या रद्द करने के अपने विनिश्चय की सूचना यथाशीघ्र, संबद्ध अल्पकालिक ग्राहकों को देगा ।
- (iv) अल्पकालिक पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदनों पर कार्यवाही केवल तब की जाएगी यदि ऐसी अल्पकालिक पहुंच एक मास से चौथे मास तक प्रारंभ की जाती है और जो चौथे मास के बाद समाप्त न होने वाली हो, उस मास में की जाती है जिसमें पहले मास के रूप में आवेदन किया जाता है ।
- (v) उस मास में, जिसमें आवेदन किया जाता है या आगामी मास से प्रारंभ होने वाली और समाप्त होने वाली खुली पहुंच के लिए मास के उन्नीसवें दिन के पश्चात् प्राप्त किया जाता

है, प्रारंभ होने वाली खुली पहुंच के लिए मास में प्राप्त अल्पकालिक पहुंच प्रदान करने वाले आवेदनों पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर विचार किया जाएगा और अल्पकालिक पहुंच पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, प्रदान की जाएगी ।

(vi) मास के उन्नीसवें दिन तक प्राप्त हुए अल्पकालिक पहुंच के लिए सभी ऐसे आवेदनों, जो उपरोक्त खंड (v) के अनुसार पहले आओ पहले-पाओ आधार पर कार्यवाही किए जाने के लिए अल्पकालिक पहुंच के आवेदनों से भिन्न हैं, पर अग्रिम आरक्षण के लिए उस मास के बीसवें दिन पर साथ-साथ विचार किया जाएगा और उन पर नीचे दी गई रीति में कार्यवाही की जाएगी, अर्थात् :-

(क) आवेदनों का अल्पकालिक पहुंच के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी पारेषण कारीडोर पर संकुलन के लिए जांच करने हेतु विश्लेषण किया जाएगा ;

(ख) यदि नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र अंतर्वर्तित किसी भी पारेषण कारीडोर पर प्रत्याशित संकुलन नहीं करता है तब आवेदकों को मात्रा और चाही गई अवधि के लिए मास के पच्चीसवें दिन तक अल्पकालिक पहुंच प्रदान की जाएगी ।

(ग) यदि नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की राय में, सभी आवेदकों को अल्पकालिक पहुंच प्रदान किए जाने से किसी अवधि के लिए अल्पकालिक पहुंच का उपयोग किए जाने वाले एक या उससे अधिक पारेषण कारीडोरों में संकुलन बढ़ाने की संभावना है तो इसके संबंध में, उनकी राय और उसके लिए कारण की सूचना मास के तेईसवें दिन को या इससे पूर्व तदनुसार आवेदकों को दी जाएगी ।

(घ) ऊपर उपखंड (ग) के अनुसार, सूचना की प्राप्ति पर, आवेदन संकुलन की अवधि के दौरान पारेषण क्षमता की अपनी अपेक्षा में कमी कर सकेगा या उस अवधि, जब कोई संकुलन प्रत्याशित न हो, के लिए केवल पहुंच का विकल्प ले सकेगा और ऐसी परिस्थिति में मास के पच्चीसवें दिन तक तदनुसार प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को सूचित करेगा ।

(ङ) यदि नोडल प्रादेशिक भार-प्रेषण केंद्र अल्पकालिक पहुंच के लिए उपयोग किए जाने हेतु एक या अधिक पारेषण कारीडोरों में अभी भी संकुलन की प्रत्याशा करता है तो इन विनियमों के विनियम 14 के अनुसार संकुलन पारेषण कारीडोर की पारेषण

क्षमता के आरक्षण के लिए मास के छब्बीसवें दिन को इलैक्ट्रानिक बोली आमंत्रित करेगा। बोली की प्रक्रिया में आवेदक की गैर-भागीदारी का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह खुल पहुंच में हितबद्ध नहीं है और उसके आवेदन पर कार्यवाही नहीं की जाएगी।

- (vii) तत्पश्चात् यदि आरक्षित पारेषण कारीडोर मास में कुछ अवधि के लिए पूर्णतः या भागतः खाली हो गया हो तो प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र इस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा।
- (viii) खंड (iii) में उपबंधित के सिवाय, जब एक बार खुली पहुंच प्रदान की जा चुकी हो तब दीर्घकालिक ग्राहक या अल्पकालिक ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर ऐसे अन्य व्यक्ति से पश्चात्वर्ती अनुरोध प्राप्त होने के कारण नहीं बदला जाएगा।
- (ix) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र, आयोग का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् अल्पकालिक ग्राहकों के लिए पारेषण क्षमता के आरक्षण के लिए विस्तृत प्रक्रिया अधिकथित करेगा जिसमें बोली आमंत्रित करने, अग्रिम आरक्षण, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आरक्षण और किन्हीं अन्य क्षेत्रों के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग, यदि दो क्षेत्रों के बीच प्रत्यक्ष अंतर-प्रादेशिक लिंक का संकुलन या अवरोध बढ़ता है और कोई अन्य अवशिष्ट विषय सम्मिलित है। आयोग का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त कर लेने के पश्चात् ही प्रक्रिया का और पुनरीक्षण किया जा सकेगा।

दीर्घकालिक खुली पहुंच की घोषणा

7. प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी पारेषण प्रणाली का उपयोग करके (जिसमें स्व-उपयोग और ऐसे असमूहित अभिकरण भी सम्मिलित हैं जो पहले एकीकृत थे) विद्यमान दीर्घकालिक ग्राहकों की घोषणा को 30 जून, 2005 तक या तो अपनी स्वयं की वेबसाइट पर संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र की वेबसाइट पर करेंगे।

नोडल अभिकरण

8. (i) दीर्घकालिक पारेषण प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए एक नोडल अभिकरण केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता होगा, यदि उसकी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, अन्यथा नोडल अभिकरण ऐसा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी होगा जिसका प्रणाली में, विद्युत प्राप्त करने का स्थान अवस्थित है।

(ii) अल्पकालिक पारेषण पहुंच के लिए नोडल अभिकरण ऐसे क्षेत्र का प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र होगा जहां विद्युत प्राप्त करने का स्थान अवस्थित है ।

दीर्घकालिक ग्राहक के लिए प्रक्रिया

9. (i) दीर्घकालिक पहुंच के लिए आवेदन नोडल अभिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा ;

(ii) आवेदन में आवश्यक क्षमता, अंतःक्षेपण बिन्दु प्राप्त करने का स्थल, खुली पहुंच प्राप्त करने की अवधि, अधिकतम भार, औसत भार जैसे ब्यौरे तथा ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो नोडल अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु यह कि नोडल अभिकरण इन विनियमों के प्रारंभ के तीस दिनों के भीतर आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धान्त, प्रक्रिया और आवेदन का प्ररूप जारी करेगा ।

(iii) आवेदन के साथ एक लाख रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस ऐसे व्यक्ति के नाम में और ऐसी रीति से संदेय होगी जो नोडल अभिकरण द्वारा विनिश्चित की जाए ।

(iv) अंतर्वलित अन्य अभिकरणों, जिसमें अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी भी हैं, के परामर्श से संचालित प्रणाली अध्ययन के आधार पर, नोडल अभिकरण आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, आवेदक को सूचित करेगा कि क्या दीर्घकालिक पहुंच प्रणाली और सुदृढ़ किए बिना अनुज्ञात की जा सकती है या नहीं :

परन्तु यह और कि जहां दीर्घकालिक पहुंच प्रणाली को और सुदृढ़ किए बिना अनुज्ञात किया जा सकता है वहां यह वाणिज्यिक करार करने के ठीक पश्चात् अनुज्ञात की जाएगी ;

(v) नोडल अभिकरण की राय में, यदि दीर्घकालिक पहुंच प्रदान करने के पूर्व, प्रणाली को और सुदृढ़ करना आवश्यक है तो आवेदक नोडल अभिकरण से यह अनुरोध कर सकेगा कि वह प्राक्कलित लागत और प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए अनुसूची पूरा करने के प्रयोजन के लिए प्रणाली अध्ययन और प्रारंभिक निरीक्षण करे ;

(vi) नोडल अभिकरण उपरोक्त खंड (v) के अधीन आवेदक से अनुरोध प्राप्त करने के ठीक बाद अध्ययन करेगा और आवेदक से अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिन के भीतर अध्ययनों के पारेणामों की सूचना देगा ।

(vii) आवेदक प्रणाली को सुदृढ़ करने वाले अध्ययन के लिए नोडल अभिकरण द्वारा उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा :

परन्तु आवेदक द्वारा संदत्त एक लाख रुपए की फीस को आवेदक द्वारा प्रतिपूर्ति किए जाने वाले वास्तविक व्यय के लिए समायोजित किया जाएगा ।

10. दीर्घकालिक ग्राहक की पारेषण क्षमता के आबंटन को इन विनियमों के विनियम 12 के अनुसार छोड़ दिया जाएगा या किसी अन्य दीर्घकालिक ग्राहक को अंतरित किया जाएगा ।

थोक ऊर्जा पारेषण करार

11. दीर्घकालिक ग्राहक अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए पारेषण अनुज्ञापिधारी के साथ थोक ऊर्जा पारेषण करार करेंगे ।

विद्यमान विकल्प

12. (i) कोई भी दीर्घकालिक ग्राहक आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, थोक ऊर्जा पारेषण करार में विनिर्दिष्ट अपने अधिकारों तथा बाध्यताओं को नहीं छोड़ेगा या उन्हें अंतरित नहीं करेगा ;
- (ii) दीर्घकालिक ग्राहक के अधिकार और बाध्यताओं का परित्याग या अंतरण ऐसे प्रतिकर, जो आयोग द्वारा अवधारित किया जाए, के संदाय के अध्यधीन होगा ।

अल्पकालिक ग्राहक के लिए प्रक्रिया

13. (i) अल्पकालिक ग्राहक, पारेषण पहुंच के आवेदन नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को प्रस्तुत करेगा ;
- (ii) आवेदन में आवश्यक क्षमता, अंतःक्षेपण बिंदु प्राप्त करने का स्थल या के स्थल, खुली पहुंच प्राप्त करने की अवधि, व्यस्ततम भार, औसत भार जैसे ब्यौरे और ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अधिकथित की जाए ;
- (iii) आवेदन के साथ केवल पांच हजार रुपए की अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी :

परंतु यह कि आवेदन की तारीख को या आगामी दिन को पहुंच के लिए आवेदन की दशा में, आवेदन फीस आवेदन करने के अगले तीन कार्य दिवस के भीतर जमा की जा सकेगी ।

(iv) आरक्षित पारेषण क्षमता को अल्पकालिक ग्राहक द्वारा किसी अन्य ग्राहक को अंतरित नहीं किया जाएगा ।

अल्पकालिक पहुंच के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया

- 13क. (i) बोली के लिए न्यूनतम कीमत इन विनियमों के विनियम 16 के अनुसार अवधारित एस टी - दर होगी ।
- (ii) बोली लगाने वाले न्यूनतम कीमत के अनुसार कीमत कोट करेंगे ।
- (iii) किसी भी बोलीकर्ता को अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की दशा में, ऐसी कीमत कोट करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जो न्यूनतम कीमत से पांच गुणा अधिक हो और अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की दशा में, न्यूनतम कीमत से ढाई गुणा अधिक हो ।
- (iv) पारेषण क्षमता का आरक्षण कोट की गई कीमत के घटते हुए क्रम में किया जाएगा ।
- (v) एक या अधिक बोलीकर्ताओं द्वारा कोट की गई समान कीमत की दशा में, पारेषण क्षमता का आरक्षण आरक्षित किए जाने के लिए मांग की गई पारेषण क्षमता के अनुपात में किया जाएगा ।
- (vi) आरक्षण प्राप्त करने के लिए अल्पकालिक ग्राहक उनके द्वारा मांगी गई क्षमता से अन्यून क्षमता के लिए अपने द्वारा कोट किए गए प्रभारों का संदाय करेंगे और आरक्षण किए जाने के लिए मांगी गई क्षमता के बराबर पारेषण क्षमता आरक्षण प्राप्त करने वाले अल्पकालिक ग्राहक पारेषण क्षमता का आरक्षण प्राप्त करने वाले अंतिम ग्राहक द्वारा कोट किए गए प्रभारों का संदाय करेंगे ।

अल्पकालिक ग्राहक द्वारा आरक्षित पारेषण क्षमता का उपयोग न किया जाना

- 14.(i) यदि अल्पकालिक ग्राहक आरक्षित पारेषण क्षमता का पूर्ण या उसके सारवान् भाग का उपयोग करने में असमर्थ है तो वह नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को आरक्षित पारेषण क्षमता का उपयोग करने के संबंध में, उसके लिए कारणों सहित बताएगा और वह आरक्षित पारेषण क्षमता को अभ्यर्पित कर सकेगा ।

- (ii) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र अल्पकालिक ग्राहक की आरक्षित पारेषण क्षमता में तब स्वयं कमी कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा जब ऐसा अल्पकालिक ग्राहक आरक्षित पारेषण क्षमता का बार-बार कम उपयोग करता है :

परंतु यह कि आरक्षित पारेषण क्षमता में, उस अल्पकालिक ग्राहक, जिसकी आरक्षित पारेषण क्षमता में कमी की जानी है या उसे रद्द किया जाना है, को इस खंड के अधीन पूर्व सूचना दिए बिना, कमी नहीं की जाएगी या उसे रद्द नहीं किया जाएगा ।

- (iii) ऐसा अल्पकालिक ग्राहक, जिसने खंड (i) के अधीन आरक्षित पारेषण क्षमता को अभ्यर्पित कर दिया है या जिसकी आरक्षित पारेषण क्षमता में खंड (ii) के अधीन कमी कर दी गई है या उसे रद्द कर दिया गया है, सात दिन या, यथास्थिति, अभ्यर्पित या कमी की गई या रद्द की गई अवधि, जो भी अवधि कम हो, के लिए मूल आरक्षित पारेषण क्षमता पर आधारित पारेषण प्रभारों और प्रचालन प्रभारों का वहन करेगा ।

टिप्पण

इस खंड के प्रयोजन के लिए, “प्रचालन प्रभार” पद का वही अर्थ होगा जो विनियम 17 में है ।

- (iv) खंड (i) के अधीन अल्पकालिक ग्राहक द्वारा अभ्यर्पण के परिणामस्वरूप या खंड (ii) के अधीन प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा आरक्षित पारेषण क्षमता में कमी या उसे रद्द करने के परिणामस्वरूप उपलब्ध हो गई पारेषण क्षमता का आरक्षण इन विनियमों के अनुसार किसी अन्य अल्पकालिक ग्राहक द्वारा किया जा सकेगा ।

विद्यमान संव्यवहारों का निरूपण

15. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, (पहला संशोधन) विनियम, 2005 के प्रारंभ से पूर्व किसी व्यक्ति को प्रदान की गई खुली पहुंच को उस अवधि की समाप्ति तक बाधित नहीं किया जाएगा जिसके लिए खुली पहुंच प्रदान की गई है ।

पारेषण प्रभार

16. अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों को निम्नलिखित रूप में विनियमित किया जाएगा, अर्थात् :-

- (i) पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए दीर्घकालिक ग्राहक द्वारा संदेय वार्षिक पारेषण प्रभासों को समुचित आयोग द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित निबंधनों और शर्तों के अनुसार अवधारित किया जाएगा और अल्पकालिक ग्राहकों से प्राप्त समायोजनीय राजस्व में कटौती करने के पश्चात् ये प्रभार दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा आपस में बांटे जाएंगे ।
- (ii) अल्पकालिक ग्राहक द्वारा संदेय पारेषण प्रभासों को निम्नलिखित पद्धति के अनुसार संगणित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) अंतरा-प्रादेशिक प्रणाली

$$\text{एस.टी. रेट} = 0.25 \times [\text{टी.एस.सी./ए.वी.}-\text{सी ए पी}] / 365$$

(ख) अंतर-प्रादेशिक प्रणाली

$$\text{एस.टी. रेट} = 0.50 [\text{टी.एस.सी./सीआईआर}] / 365$$

जहां :

एस.टी. रेट रूपए प्रति मेगावाट प्रतिदिन में अल्पकालिक ग्राहक के लिए दर है ।

टिप्पण :

एस.टी. रेट को प्रत्येक प्रादेशिक पारेषण प्रणाली, अंतर-प्रादेशिक लिंक और राज्य पारेषण उपयोगिता की पारेषण प्रणाली या अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के भागरूप किसी अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए संगणित किया जाएगा और उनको लागू होगा ।

“टीएससी” से समुचित आयोग द्वारा यथा अवधारित पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए पारेषण प्रणाली के मद्दे अपेक्षित वार्षिक पारेषण प्रभार या वार्षिक राजस्व अभिप्रेत है ।

“ एवी_ सीएपी” से पूर्व वित्तीय वर्ष में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की अंतरा-प्रादेशिक पारेषण प्रणाली द्वारा दी गई मेगावाट में औसत क्षमता अभिप्रेत है और पारेषण प्रणाली से संबद्ध उत्पादन क्षमताओं और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली द्वारा किए गए अन्य दीर्घकालिक संव्यवहारों की संविदागत क्षमताओं का योग होगा ।

“सीआईआर” से अंतर-प्रादेशिक प्रणाली की पारेषण क्षमता अभिप्रेत है ।

- (iii) असंकुलन पारेषण कारीडोर की दशा में, अल्पकालिक ग्राहक द्वारा संदेय पारेषण प्रभार निम्नानुसार उदगृहीत किए जाएंगे, अर्थात् :-
- (क) एक ब्लाक में एक दिन में छह घंटे तक : एसटी_रेट का 1/4 ;
- (ख) एक ब्लाक में एक दिन में छह घंटे से अधिक और बारह घंटे तक : एसटी_रेट का 1/2;
- (ग) एक ब्लाक में एक दिन में बारह घंटे से अधिक और चौबीस घंटे तक : एसटी_रेट के बराबर ।
- (iv) पारेषण प्रणाली के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों का अवधारण न करना अल्पकालिक पहुंच प्रदान करने में विलंब के लिए आधार नहीं होगा और जहां किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के लिए वार्षिक पारेषण प्रभारों को अधिनियम के अधीन अवधारित नहीं किया जाता है वहां उस क्षेत्र, जिसमें पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली अवस्थित है, के लिए लागू एसटी_रेट अल्पकालिक ग्राहक के लिए प्रभारों का अवधारण करने के लिए लागू होंगे ।
- (v) प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऊपर खंड (ii) के अनुसार संगणित एसटी_रेट रक, घोषणा करेगा और जो एक वर्ष की अवधि के लिए पुनः नियत रहेगी ।
- (vi) यदि पारेषण प्रणाली केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता से संबंधित है तो अल्पकालिक ग्राहक से अपनी अंतरा-प्रादेशिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए एकत्रित प्रभारों का 25% और अपनी अंतर-प्रादेशिक प्रणाली के उपयोग के लिए अल्पकालिक ग्राहक से एकत्रित प्रभारों के 12.5% को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा और इन प्रभारों के शेष भाग को दीर्घकालिक ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों में कटौती के मद्दे समायोजित किया जाएगा ।
- (vii) इस विनियम में विनिर्दिष्ट खुली पहुंच प्रभार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए लागू नहीं होंगे । इस क्षेत्र में अंतर-राज्यिक पारेषण के उपयोग के लिए प्रभारों को आयोग द्वारा, समय-समय पर, पृथक् आदेशों के अधीन विनियमित किया जाएगा ।

प्रचालन प्रभार

- 17.(i) प्रत्येक संव्यवहार के लिए प्रतिदिन या दिन के भाग के लिए 3000 रूपए और प्रतिदिन या दिन के भाग

के लिए 1,000 रुपए की दर से संयुक्त प्रचालन प्रभार अल्पकालिक ग्राहक द्वारा क्रमशः प्रत्येक अंतर्वर्तित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या राज्य भार प्रेषण केंद्र को प्रत्येक संव्यवहार के लिए संदेय होगा ।

टिप्पण 1

प्रचालन प्रभार में, अनुसूचीकरण और प्रणाली प्रचालन के लिए फीस, सद्भाविक आधारों पर अनुसूची में प्रभावी पुनरीक्षण के लिए फीस और संग्रहण और प्रतिपूर्ति प्रभार सम्मिलित है ।

टिप्पण 2

खंड (i) के अनुसार प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संगृहीत प्रचालन प्रभार अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (4) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस और प्रभारों के अतिरिक्त होंगे ।

स्वटीकरण

प्रचालन प्रभार उत्पादन कंपनी द्वारा तब संदेय होंगे जब इन विनियमों के अधीन पहुंच प्रदान की जाती है ।

अननुसूचित विनियम (यू आई) प्रभार

18. (i) अनुसूचित और निकासी स्थल पर वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित और अंतःक्षेपण बिन्दु पर वास्तविक अंतःक्षेपण के बीच अंतर को ग्रिड द्वारा पूरा किया जाएगा और वह अंतरराज्यिक संव्यवहार को लागू विनियम कीमत तंत्र द्वारा शासित होगा ।

(ii) यू आई प्रभारों के लिए पृथक् बिल प्रत्यक्ष ग्राहकों को जारी किए जाएंगे और संनिहित ग्राहकों की दशा में, राज्य के लिए मिश्रित यू आई बिल संपूर्ण रूप से, ऐसे पृथक्करण के लिए, जो राज्य स्तर पर किया जाएगा, जारी किए जाएंगे ।

रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार

19. खुली पहुंच के कारण प्रत्यक्ष ग्राहकों द्वारा रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों के संदाय और प्राप्ति को आयोग द्वारा, समय-समय पर, अनुमोदित अंतर्वर्तित अंतर-राज्यिक पारेषण संव्यवहारों को लागू स्कीम के अनुसार संगणित किया जाएगा ।

20. राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा संदेय या प्राप्य रिएक्टिव ऊर्जा प्रभार संबंधित

राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा पूल से संदत्त या प्राप्त किए जाएंगे और संनिहित ग्राहकों को संविभाजित नहीं किए जाएंगे ।

21. संनिहित ग्राहकों द्वारा रिएक्टिव ऊर्जा प्राप्त करने और अंतःक्षेपण संबद्ध राज्य के भीतर

लागू विनियमों द्वारा शासित होंगे ।

आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए समय-अनुसूची

22. (i) अग्रिम आरक्षण के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए विनियम 6 के अधीन विहित समय अनुसूची के अतिरिक्त, पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदन पर कार्यवाही करने हेतु अपने-अपने नोडल अभिकरण द्वारा यथासंभव निम्नलिखित समय-अनुसूची का पालन किया जाएगा, अर्थात् :-

क्र. सं.	सेवा/क्रियाकलाप का प्रकार	कार्यवाही करने का अधिकतम समय
1.	अल्पकालिक सेवा (पहले आओ पहले पाओ आधार पर विचार की जाने वाली अवधि के लिए)	
	एक सप्ताह तक	2 दिन
	एक सप्ताह से अधिक	3 दिन
2.	दीर्घकालिक सेवा	
	प्रणाली को सुदृढ़ किए बिना पहुंच की साध्यता के संबंध में सूचना	30 दिन
	प्राक्कलित लागत और समापन अनुसूची के साथ प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए अध्ययन के परिणामों की सूचना	90 दिन

(ii) अगले दिन के लिए संव्यवहार :

(क) पारेषण प्रभारों, प्रचालन प्रभार और आवेदन फीस का अग्रिम संदाय करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये संदाय आवेदन करने के 3 कार्यदिवस के भीतर किए जा सकते हैं ।

(ख) खुली पहुंच और अनुसूचीकरण के लिए संयुक्त अनुरोध संबद्ध राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को 3.00 बजे सायं तक भेजा जाएगा । नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र अनुसूचियों में खुली पहुंच के लिए अनुरोध को सम्मिलित करने के लिए उपाय करेगा, यदि अनुरोध बिना किसी संकुलन के कारण किया गया हो ।

(ग) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों द्वारा 5.00 बजे सायं तक पहली प्रेषण अनुसूची जारी करने के पश्चात् ज्ञात उपयुक्त अधिशेष के लिए खुली पहुंच और अनुसूचीकरण के लिए संयुक्त अनुरोध नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को 10 बजे सायं तक या अधिमानतः पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र यदि अनुरोध बिना किसी संकुलन के कारण किया जा सकता है, उसे संबद्ध प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों द्वारा जारी की जाने वाली पुनरीक्षित प्रेषण अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रयास करेगा।

(iii) उसी दिन के लिए संव्यवहार :

(क) पारेषण प्रभारों, प्रचालन प्रभारों और आवेदन फीस का अग्रिम संदाय करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये संदाय आवेदन करने के 3 कार्यदिवस के भीतर किए जा सकते हैं।

(ख) आपातकालीन की दशा में, फायदाग्राही/क्रेता उपयोगिता अल्पकालिक आपातकालीन अपेक्षा को पूरा करने के लिए उसी दिन को ऊर्जा के स्रोत का पता लगा सकते हैं और अनुरोध को संबद्ध राज्य भार प्रेषण केंद्रों के माध्यम से नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र को भेज सकेगा। प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र यथाशीघ्र ऐसे आपातकालीन अनुरोध पर यथाशीघ्र और व्यवहारतः यथासाध्य सीमा तक कार्यवाही करने का प्रयास करेगा।

संक्षेपण पूर्विकता

23. जब पारेषण मजबूरियों या अन्य कारणों से, पारेषण ग्राहकों की पारेषण सेवा में कमी करना आवश्यक हो गया हो तब अल्पकालिक ग्राहकों की पारेषण सेवा में कमी की जाएगी और उसके बाद दीर्घकालिक ग्राहकों की पारेषण सेवा में कमी की जाएगी :

परन्तु यह कि प्रवर्ग के भीतर, सभी उपयोक्ताओं में पूर्विकता से उसी प्रकार कमी की जाएगी और दीर्घकालिक ग्राहकों की दशा में, आबंटित पारेषण क्षमता में और अल्पकालिक ग्राहकों की दशा में आरक्षित पारेषण सेवा में यथानुपात कमी की जाएगी।

संक्षेपण की दशा में अल्पकालिक ग्राहकों के लिए पारेषण प्रभार

23क. किसी विशिष्ट दिन को प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पारेषण अवरोधों के कारण आरक्षित पारेषण क्षमता के 50% से अधिक के संक्षेपण की दशा में, उस दिन के लिए पारेषण प्रभार वास्तविक रूप से प्रदान की गई पारेषण क्षमता के अनुसार यथानुपात अल्पकालिक ग्राहकों द्वारा संदेय होंगे।

वाणिज्यिक शर्तें**24. (i) अल्पकालिक ग्राहक**

- (क) पारेषण प्रभार और प्रचालन प्रभार नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को भासिक आधार पर संदत्त किए जाएंगे ।
- (ख) एक मास या पहुंच की अवधि, जो भी कम हो, के लिए अग्रिम संदाय पहुंच प्रदान करने के तीन कार्यदिवस के भीतर किया जाएगा ।
- (ग) पश्चात्पूर्ती संदाय अगले मास के प्रारंभ से कम से कम एक दिन पूर्व किए जाएंगे ।
- (घ) संदाय या तो चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा जो नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के अवस्थान पर संदेय होगा, या इलैक्ट्रानिक अंतरण के माध्यम से किया जाएगा ।
- (ङ) यदि मंजूर की गई पहुंच की अवधि एक मास से अधिक होती है, तो अल्पकालिक खुली पहुंच प्रारंभ होने के सात दिन के भीतर प्रतिसंहरणीय बैकअप प्रत्यय पत्र प्रदान करेंगे ।
- (च) खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय की अप्राप्ति की दशा में, नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को अपने स्वविवेक से प्रत्यय पत्र को मंगाने या आरक्षित पारेषण क्षमता को रद्द करने का अधिकार होगा ।

(ii) दीर्घकालिक ग्राहक :

दीर्घकालिक ग्राहक के लिए वाणिज्यिक शर्तें वहीं होंगी जो विद्यमान फायदाग्राहियों को लागू होती हैं।

विशेष ऊर्जा मीटर

25. विशेष ऊर्जा मीटर प्रत्यक्ष ग्राहकों के लिए और उनकी लागत पर केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा और सनिहित ग्राहकों के लिए और उनकी लागत पर संबद्ध राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा लगाए जाएंगे ।

26. विशेष ऊर्जा मीटर केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रिएक्टिव ऊर्जा के समय अंतर मापमान (15 मिनट) और रिएक्टिव ऊर्जा के बोल्टता अंतर मापमान में समर्थ होंगे ।

27. विशेष ऊर्जा मीटरों को हमेशा अच्छी अवस्था में रखा जाएगा ।
28. प्रत्यक्ष ग्राहक के लिए विशेष ऊर्जा मीटर केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या प्रादेशिक राज्य प्रेषण केन्द्र द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे ।

ऊर्जा हानि

29. पारेषण ग्राहक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा प्राक्कलित पारेषण प्रणाली में औसत ऊर्जा हानियों का वहन करेंगे । पारेषण प्रणाली में ऊर्जा हानियों की अंतःक्षेपण बिन्दुओं पर अतिरिक्त अंतःक्षेपण द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी । पिछले 52 सप्ताहों के लिए औसत ऊर्जा हानियों के संबंध में, जानकारी को प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्रों की वेबसाइट में डाला जाएगा ।

ग्रिड कोड का अनुपालन

30. खुली पहुंच ग्राहक समय-समय पर, प्रवृत्त ग्रिड कोड के उपबंधों का पालन करेंगे ।

प्रभारों का संग्रहण और संवितरण

- 31.(i) दीर्घकालिक ग्राहकों के संबंध में, पारेषण प्रभार प्रत्यक्षतः अपने-अपने पारेषण अनुज्ञापिधारी को संदेय होंगे ।
- (ii) राज्य भार प्रेषण केन्द्र को संदेय प्रचालन प्रभार और अल्पकालिक ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभार नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संगृहीत और संवितरित किए जाएंगे ।
- (iii) यदि राज्य पारेषण उपयोगिता के स्वामित्वाधीन पारेषण प्रणाली का आभ्यन्तरण किया जाता है तो इन विनियमों के विनियम 16 के अधीन नोडल प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संगृहीत किए जाने वाले पारेषण प्रभार और इन विनियमों के विनियम 17 के खंड (i) के अधीन संदेय प्रचालन प्रभार में राज्य पारेषण उपयोगिता के स्वामित्वाधीन पारेषण प्रणाली के लिए प्रभार और राज्य भार प्रेषण केन्द्र को संदेय सेवा प्रभार सम्मिलित नहीं होंगे ।
- (iv) अननुसूचित विनियम प्रभार और रिएक्टिव ऊर्जा प्रभारों का संग्रहण और वितरण समुचित आयोग द्वारा समय-समय पर, विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और पद्धति के अनुसार शासित होगा ।

सूचना प्रणाली

32. प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र “खुली पहुंच संबंधी जानकारी” नामक पृथक् वेब पृष्ठ में अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी देगा :—

(i) निम्नलिखित के लिए अल्पकालिक ग्राहकों (एसटी_रेट) हेतु प्रतिदिन प्रति मेगावाट रूप में न्यूनतम कीमत - (क) प्रादेशिक प्रणाली ; (ख) अंतर-राज्यिक लिंक ; और (ग) राज्य पारेषण उपयोगिता या राज्य विद्युत बोर्ड या किसी अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली जिसके साथ क्षेत्र या संबंधित राज्य के भीतर स्थित सभी पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों की बाबत ऐसी दर के समर्थन में विस्तृत परिकलन हो ;

(ii) वर्तमान अल्पकालिक ग्राहकों से संबंधित प्रास्थिति रिपोर्ट में निम्नलिखित उपदर्शित होगा:—

- (क) ग्राहक का नाम ;
- (ख) अनुदत्त पहुंच की अवधि (प्रारंभ की तारीख और समाप्ति की तारीख) ;
- (ग) अंतःक्षेपण बिन्दु ;
- (घ) प्राप्त करने का स्थल ;
- (ङ) प्रयुक्त पारेषण प्रणाली (क्षेत्र और स्वामित्व के अनुसार) ;
- (च) आरक्षित पारेषण क्षमता ; और
- (छ) लागू रेट (रूप प्रति मेगावाट प्रति दिन) ।

टिप्पण

प्रास्थिति रिपोर्ट, प्रास्थिति में हुए प्रत्येक परिवर्तन पर अद्यतन की जाएगी ।

(iii) पिछले अल्पकालिक ग्राहकों से संबंधित मासिक-वार और वर्ष-वार रिपोर्ट में निम्नलिखित उपदर्शित होगा:—

- (क) ग्राहक का नाम ;
- (ख) अनुदत्त पहुंच की अवधि (प्रारंभ की तारीख और समाप्ति की तारीख) ;
- (ग) अंतःक्षेपण बिन्दु ;
- (घ) प्राप्त करने का स्थल ;

(ड) प्रयुक्त पारेषण प्रणाली (क्षेत्र और स्वामित्व के आधार पर) ;

(च) आरक्षित पारेषण क्षमता ;

(छ) लागू रेट (रुपए प्रति मेगावाट प्रति दिन) ; और

(ज) वास्तविक भार फैक्टर ।

टिप्पण — सभी पिछली रिपोर्टें वेब-अभिलेखागार में भी उपलब्ध होंगी ।

(iv) अंतर-प्रादेशिक लिंक के उपयोग और केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता राज्य प्रणालियों (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की दशा में) के बीच अंतरापृष्ठ तथा अंतर-राज्यिक लिंक (राज्य भार प्रेषण केन्द्र की दशा में) संबंधी जानकारी में निम्नलिखित उपदर्शित होगा :—

(क) अद्यतन करने का समय ;

(ख) लिंक का नाम ;

(ग) लिंक की कुल पारेषण क्षमता ;

(घ) प्रयुक्त अनुसूचित क्षमता (ग्राहक-वार ब्रेकअप देते हुए) ; और

(ङ) प्रयुक्त लिंक की वर्तमान क्षमता ।

टिप्पण - यह जानकारी घंटे के आधार पर अद्यतन की जाएगी और जहां संभव हो वहां 15 मिनट पर अद्यतन की जाएगी ।

(v) पिछले 52 हफ्तों के लिए औसत ऊर्जा हानियों के बारे में जानकारी ।

33. वेब-आधारित जानकारी प्रणाली का प्रकाशन प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की दशा में, इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 30-दिन और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की दशा में, इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 180 दिन के भीतर प्रारंभ होगी । प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त जानकारी को प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र को उपलब्ध कराएगा ।

34. सभी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी प्रणाली का उपयोग करने वाले वर्तमान दीर्घकालिक ग्राहकों (जिसमें स्वयं प्रयुक्त और ऐसी गैर-सामूहिक अभिकरण भी सम्मिलित हैं जो पहले एकीकृत थे) की घोषणा करेगा जिसका ब्यौरा इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 180 दिन के भीतर अपनी स्वयं की वेबसाइटों पर या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र या संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र की वेबसाइट पर दिया जाएगा ।

टिप्पण

जैसे ही ग्रास्थिति में परिवर्तन होता है अनुसूची को अद्यतन किया जाएगा ।

प्रतिषेध तंत्र

35. अनुचित व्यवहार, विलंब, विभेद, जानकारी की कमी, गलत जानकारी का दिया जाना या अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच से संबंधित किसी अन्य विषय के बारे में सभी शिकायतें उस क्षेत्र के, जिसमें

वह प्राधिकारी, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, अवस्थित है, यथास्थिति, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड या प्रादेशिक ऊर्जा समिति के सदस्य सचिव को निदेशित की जाएंगी। यथास्थिति, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड या प्रादेशिक ऊर्जा समिति का सदस्य-सचिव शिकायत की जांच करेगा और उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा :

परन्तु यह कि किसी ऐसे मामले में जिसमें, यथास्थिति, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड या प्रादेशिक ऊर्जा समिति का सदस्य-सचिव शिकायत को दूर करने में असमर्थ है वहां मामले को विनिश्चय के लिए आयोग को भेजा जाएगा।

समन्वय

36. इस विनियमों के अधीन प्रक्रियाओं की विरचना, मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा आवेदन प्ररूप के संबंध में प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को समनुदेशित उत्तरदायित्वों के लिए केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा समन्वय किया जाएगा।

ए. के. सच्चान, सचिव

[विज्ञापन III/IV/150/04-असा.]

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2004

No. L-7/25(4)/2003.—In exercise of powers conferred by Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely :—

Short Title and Commencement

1. (i) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-state Transmission) Regulations, 2004.
- (ii) (a) These regulations, except Clause (iii) of Regulation 6 shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette;
- (b) Clause (iii) of Regulation 6 of these regulations shall come into force after expiry of 90 days from the date of publication of these regulations in the Official Gazette and during this period of 90 days, reservation for short-term customers shall be done on first-come-first-served basis:

Provided that the period for such reservation shall not exceed the period of 90 days from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.

Definitions

2. In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

**Amended vide notification No.L-7/25(5)/2003-CERC dated 21st February, 2005
(Amendments shall be effective from 1.4.2005)**

- (b) "Allotted Transmission Capacity" means the power transfer in MW between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to a long-term customer on the inter-state transmission system under normal circumstances and the expression "allotment of transmission capacity" shall be construed accordingly;
- (c) "Commission" means Central Electricity Regulatory Commission referred to in Section 76 of the Act;
- (ca) "Day" means a day starting at 00.00 hours and ending at 24.00 hours;
- (d) "Direct customer" means a person directly connected to the system owned or operated by the Central Transmission Utility;
- (e) "Embedded customer" means a person who is not a direct customer;
- (f) "Existing beneficiary" means a person having firm allocation from a central power generating station on the date of coming into force of these regulations and who has entered into Bulk Power Transmission Agreement with the Central Transmission Utility;
- (g) "Grid Code" means the Grid Code specified by the Commission under Clause (h) of sub-section (1) of Section 79 of the Act and includes the Indian Electricity Grid Code applicable on the date of commencement of these regulations;
- (ga) "Month" means a calendar month as per the British calendar;
- (h) "Nodal agency" means the nodal agency defined in regulation 8 of these regulations;
- (i) "Open access customer" means a consumer permitted by the State Commission to receive supply of electricity from a person other than distribution licensee of his area of supply, or a generating company (including captive generating plant) or a licensee, who has availed of or intends to avail of open access;
- (j) "Reserved Transmission Capacity" means the power transfer in MW between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed

to a short-term customer on the transmission system depending on availability of transmission capacity and the expression "reservation of transmission capacity" shall be construed accordingly;

- (k) "Transmission Customer" means any person, including open access customer using transmission system of a transmission licensee;
- (ka) "working day" means a day on which banks are open for business;
- (l) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or the Grid Code, shall have the meaning assigned to them under the Act or the Grid Code, as the case may be.

Extent of Application

3. These regulations shall apply for access to inter-state transmission system.

Categorisation of Transmission Customers

4. (i) The transmission customers shall be divided into two categories, namely: -
- (a) Long-term customers, and
 - (b) Short-term customers.
- (ii) The persons availing or intending to avail access to the inter-state transmission system for a period of twenty five years or more shall be the long-term customers:

Provided that the existing beneficiaries of a regional transmission system owned or operated by the Central Transmission Utility shall be deemed to be the long-term customers of the particular regional system owned or operated by the Central Transmission Utility for the purpose of these regulations.

- (iii) The transmission customers other than the long-term customers shall be the short-term customers:

Criteria for allowing transmission access

5. (i) The long-term access shall be allowed in accordance with the transmission planning criterion stipulated in the Grid Code;
- (ii) The short-term access shall be allowed, if request can be accommodated by utilising: -
- (a) Inherent design margins;
 - (b) Margins available due to variation in power flows; and
 - (c) Margins available due to in-built spare transmission capacity created to cater to future load growth.

Criteria for Allotment and Reservation of Transmission Capacity

6. (i) Allotment priority of a long-term customer shall be higher than reservation priority of a short-term customer.
- (ii) Within a category (long-term or short-term), there shall be no discrimination between open access customers and self-use by an integrated utility like the State Electricity Board.
- (iii) In case of inter-regional transactions, reservation of transmission capacity to the short-term customer may be reduced or cancelled by the Regional Load Despatch Centre, if the Central Government allocates power from the Central Generating Station or Stations in a region to a person in another region and such allocation, in the opinion of the Regional Load Despatch Centre, cannot otherwise be implemented due to congestion in the inter-regional link. If the Regional Load Despatch

Centre decides to reduce or cancel transmission capacity reserved for a short-term customer under this clause, it shall, as soon as possible, intimate the short-term customer concerned of its decision to reduce or cancel transmission capacity.

- (iv) The applications for grant of short-term access shall be processed only if such short-term access is commencing in the first month to the fourth month and is not ending beyond the fourth month, taking the month in which application is made as the first month.
- (v) The applications for grant of short-term access received in a month for open access commencing and terminating in the month in which the application is made or received after the nineteenth day of a month for open access commencing and terminating in the following month shall be treated on first-come-first-served basis, and short-term access shall be granted subject to availability of the transmission capacity.
- (vi) All applications for short-term access, other than the applications for short-term access to be processed on first-come-first-served basis in accordance with clause (v) above, received up to the nineteenth day of a month shall be considered together on the twentieth day of that month for advance reservation and shall be processed in the manner given hereunder, namely:-
 - (a) The applications shall be analysed to check for congestion on any of the transmission corridors to be used for short-term access.
 - (b) In case the nodal Regional Load Despatch Centre does not anticipate congestion on any of the transmission corridors involved, the applicants shall be granted short-term access for the

- quantum and duration sought, latest by the twenty-fifth day of the month.
- (c) If in the opinion of the nodal Regional Load Despatch Centre, grant of short-term access to all the applicants is likely to lead to congestion in one or more of the transmission corridors to be used for short-term access for any duration, it shall inform the applicants of its opinion accordingly and the reasons therefor on or before the twenty-third day of the month.
- (d) On receipt of intimation in accordance with sub-clause (c) above, an applicant may reduce its requirement of transmission capacity during the period of congestion or opt for access only for the duration when no congestion is anticipated and in such a situation, he shall inform the nodal Regional Load Despatch Centre accordingly by the twenty-fifth day of the month.
- (e) If the nodal Regional Load Despatch Centre still anticipates congestion in one or more of the transmission corridors to be used for short-term access, it shall invite electronic-bids for reservation of transmission capacity of the congested transmission corridor in accordance with Regulation 14 of these regulations on the twenty-sixth day of the month. Non-participation of an applicant in the bidding process shall be construed that he is no longer interested in open access and his application shall not be processed.
- (vii) In the event of a reserved transmission corridor subsequently becoming fully or partly vacant for certain duration in a month, the Regional Load

Despatch Centre shall display this information in public domain on its website.

- (viii) Except as provided in clause (iii), once open access has been granted, the long-term customer or the short-term customer shall not be replaced by any other person on account of a subsequent request received from such other person.
- (ix) The Regional Load Despatch Centres shall lay down a detailed procedure for reservation of transmission capacity to the short-term customers after obtaining prior approval of the Commission, which shall include the detailed procedure for inviting bids, advance reservation, reservation on first-come-first-served basis, usage of alternate route through other regions if direct inter-regional links between two regions are congested or constrained and any other residual matter. Any further revision of the procedure shall be carried out only after obtaining prior approval of the Commission.

Declaration of Long-term Open Access

7. Every transmission licensee shall declare the existing long-term customers using its transmission system (including self-use and use by unbundled agencies which were previously integrated) either on its website or on the website of the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre concerned latest by the thirtieth day of June 2005.

Nodal Agency

8. (i) The nodal agency for arranging the long-term transmission access shall be the Central Transmission Utility if it's system is used, otherwise the

nodal agency shall be transmission licensee in whose system the point of drawal of electricity is situate;

- (ii) The nodal agency for the short-term transmission access shall be the Regional Load Despatch Centre of the region where point of drawal of electricity is situate.

Procedure for Long-Term Customer

9. (i) An application for long-term access shall be submitted to the nodal agency;

(ii) The application shall contain the details, such as capacity needed, point(s) of injection, point(s) of drawal, duration of availing open access, peak load, average load and such other additional information that may be specified by the nodal agency:

Provided that the nodal agency shall issue necessary guidelines, procedure and application forms within 30 days of commencement of these regulations.

(iii) The application shall be accompanied by a non-refundable application fee of Rs one lakh payable in the name and in the manner to be decided by the nodal agency;

(iv) Based on system studies conducted in consultation with other agencies involved including other transmission licensees, the nodal agency shall, within 30 days of receipt of the application, intimate to the applicant whether or not the long-term access can be allowed without further system strengthening:

Provided that where the long-term access can be allowed without further system strengthening, this shall be allowed immediately after entering into commercial agreements.

(v) If, in the opinion of the nodal agency, further system strengthening is essential before providing the long-term access, the applicant may request the nodal agency to carry out the system studies and preliminary investigation for the purpose of cost estimates and completion schedule for system strengthening;

(vi) The nodal agency shall carry out the studies immediately on receipt of request from the applicant under clause (v) above and intimate results of the studies within 90 days of receipt of request from the applicant;

(vii) The applicant shall reimburse the actual expenditure incurred by the nodal agency for system strengthening studies:

Provided that the fee of rupees one lakh paid by the applicant shall be adjusted against the actual expenditure to be reimbursed by the applicant.

10. The allotment of transmission capacity to a long-term customer may be relinquished or transferred to any other long-term customer in accordance with regulation 12 of these regulations.

Bulk Power Transmission Agreement

11. A long-term customer shall enter into Bulk Power Transmission Agreement with the transmission licensee for use of inter-state transmission system.

Exit Option

12. (i) A long-term customer shall not relinquish or transfer his rights and obligations specified in the Bulk Power Transmission Agreement, without prior approval of the Commission.
- (ii) The relinquishment or transfer of rights and obligations by a long-term customer shall be subject to payment of compensation, as may be determined by the Commission.

Procedure for Short-Term Customer

13. (i) A short-term customer shall submit an application for transmission access to the nodal Regional Load Despatch Centre;
- (ii) The application shall contain the details, such as capacity needed, point or points of injection, point or points of drawal, duration for availing of open access, peak load, average load and such other additional information that may be laid down by the Regional Load Despatch Centre;
- (iii) The application shall be accompanied by a non-refundable application fee of Rupees five thousand only;

Provided that in case of application for access on the date of the application or on the following day, the application fee may be deposited within next three working days of making of application.

- (iv) The reserved transmission capacity shall not be transferred by a short-term customer to any other customer.

Bidding Process for Short-term Access

- 13A. (i) The floor price for bidding shall be the ST_RATE determined in accordance with Regulation 16 of these regulations.

- (ii) The bidders shall quote price in terms of the floor price.
- (iii) No bidder shall be allowed to quote price which is more than five times the floor price in case of intra-regional transmission system and more than a two and a half times the floor price in case of inter-regional transmission system.
- (iv) Reservation of transmission capacity shall be made in decreasing order of the price quoted.
- (v) In case of equal price quoted by two or more bidders, the reservation of transmission capacity shall be made *pro rata* to the transmission capacity sought to be reserved.
- (vi) The short-term customer getting reservation for capacity less than the capacity sought by him shall pay the charges quoted by him and the short-term customers getting transmission capacity reservation equal to the capacity sought to be reserved, shall pay the charges quoted by the last customer getting reservation of transmission capacity.

Non-Utilisation of reserved transmission capacity by Short-term Customer

14. (i) In case a short-term customer is unable to utilise, full or substantial part of the reserved transmission capacity, he shall inform the nodal Regional Load Despatch Centre along with reasons for his inability to utilise the reserved transmission capacity and may surrender the reserved transmission capacity.
- (ii) Notwithstanding any thing contained in these regulations, the Regional Load Despatch Centre may on its own reduce or cancel the reserved

transmission capacity of a short-term customer when such a short-term customer frequently underutilises the reserved transmission capacity:

Provided that the reserved transmission capacity shall not be reduced or cancelled under this clause without a prior notice to the short-term customer whose reserved transmission capacity is sought to be reduced or cancelled.

- (iii) The short-term customer, who has surrendered the reserved transmission capacity under clause (i) or whose reserved transmission capacity has been reduced or cancelled under clause (ii), shall bear the transmission charges and the operating charge based on the original reserved transmission capacity for seven days or the period of reservation surrendered or reduced or cancelled, as the case may be, whichever period is shorter.

Note

For the purpose of this clause, the expression "operating charge" shall have the same meaning as assigned to it under Regulation 17.

- (iv) The transmission capacity becoming available as a result of surrender by the short-term customer under clause (i) or as a result of reduction or cancellation of the reserved transmission capacity by the Regional Load Despatch Centre under clause (ii), may be reserved for any other short-term customer in accordance with these regulations.

Treatment of Existing Transactions

15. Any person granted open access before commencement of the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-state Transmission)

Regulations, (First Amendment) Regulations, 2005 shall not be disturbed till expiry of the period for which open access has been granted.

Transmission Charges

16. The transmission charges for use of the transmission system of the transmission licensee for inter-state transmission shall be regulated as under, namely:-

- (i) The annual transmission charges payable by a long-term customer for use of the transmission system shall be determined in accordance with the terms and conditions of tariff notified by the Appropriate Commission from time to time and after deducting the adjustable revenue received from the short-term customers, these charges shall be shared by the long-term customers.
- (ii) The transmission charges payable by a short-term customer shall be calculated in accordance with the following methodology, namely:-

(a) Intra-regional system

$$ST_RATE = 0.25 \times [TSC/ Av_CAP]/ 365$$

(b) Inter-regional system

$$ST_RATE = 0.50 [TSC/ CIR]/365$$

Where:

ST_RATE is the rate for short-term customer in Rs per MW per day.

Note

ST_RATE shall be calculated and applied for each regional transmission system, inter-regional transmission link, and transmission system of the State Transmission Utility or any other transmission licensee forming part of the inter-state transmission system.

"TSC" means the annual transmission charges or annual revenue requirement on account of the transmission system for the previous financial year as determined by the Appropriate Commission.

"Av_CAP" means the average capacity in MW served by the intra-regional transmission system of the transmission licensee in the previous financial year and shall be the sum of the generating capacities connected to the transmission system and contracted capacities of other long-term transactions handled by the system of the transmission licensee.

"CIR" means the transmission capacity of the inter-regional system

- (iii) The transmission charges payable by a short-term customer in case of uncongested transmission corridor shall be levied as under, namely :-
- (a) Up to 6 hours in a day in one block : $1/4^{\text{th}}$ of ST_RATE
 - (b) More than 6 hours and up to 12 hours in a day in one block : $1/2$ of ST_RATE
 - (c) More than 12 hours and upto 24 hours in a day in one block : equal to ST_RATE
- (iv) Non-determination of annual transmission charges for the transmission system shall not be a ground for delay in providing short-term access and where annual transmission charges for any transmission licensee are not determined under the Act, ST_RATE applicable for the system owned by the Central Transmission Utility of the region in which the system of transmission licensee is situate, shall be applied for determination of the charges for the short-term customer.

- (v) Every transmission licensee shall declare ST _ RATE, calculated in accordance with clause (ii) above, which shall remain fixed for a period of one year.
- (vi) If the transmission system belongs to the Central Transmission Utility or State Transmission Utility, 25% of the charges collected from the short-term customer for use of its intra-regional transmission system and 12.5% of the charges collected from the short-term customers for use of its inter-regional system shall be retained by the Central Transmission Utility or State Transmission Utility and the remaining part of these charges shall be adjusted towards reduction in the transmission charges payable by the long-term customers.
- (vii) Open access charges specified in this regulation shall not be applicable for the inter-state transmission system in North-Eastern Region. The charges for use of the inter-state transmission in this region shall be regulated under the separate orders of the Commission issued from time to time.

Operating Charge

17. (i) A composite operating charge @ Rs.3,000/- per day or part of the day and @ Rs 1,000/- per day or part of the day shall be payable by a short-term customer for each transaction to the each of the Regional Load Despatch Centre involved and State Load Despatch Centre respectively.

Note 1

The operating charge includes fee for scheduling and system operation, fee for affecting revisions in schedule on bonafide grounds and collection and disbursement charges.

Note 2

The operating charge collected by the Regional Load Despatch Centre in accordance with Clause (i) shall be in addition to the fees and charges specified by the Commission under sub-section (4) of Section 28 of the Act.

Explanation

Operating charge shall be payable by a generating company when it is granted short-term access under these regulations.

Unscheduled Inter-change (UI) charges

18. (i) The mismatch between the scheduled and the actual drawal at drawal point(s) and scheduled and the actual injection at injection point(s) shall be met from the grid and shall be governed by UI pricing mechanism applicable to the inter-state transactions;
- (ii) A separate bill for UI charges shall be issued to the direct customers and in case of the embedded customers, a composite UI bill for the State as a whole shall be issued, the segregation for which shall be done at the State level.

Reactive Energy Charges

19. The payment and receipt of the reactive energy charges by the direct customers on account of open access shall be calculated in accordance with the scheme applicable to transactions involving inter-state transmission approved by the Commission from time to time.

593 GI/05-9

20. The reactive energy charges payable to or receivable by the State Electricity Board or the State Transmission Utility shall be paid to or received from the pool by the State Electricity Board or the State Transmission Utility concerned and shall not be apportioned to the embedded customers.

21. The reactive energy draws and injections by the embedded customers shall be governed by the regulations applicable within the State concerned.

Time-schedule for Processing Application

22 (i) In addition to the time schedule prescribed under regulation 6 for processing of applications for advance reservation, as far as practicable, the following time schedule shall be adhered to by the respective nodal agency for processing of the application for grant of access, namely:-

S.No.	Type of service/activity	Maximum Processing time
1.	Short-term Service (for the period to be treated on first-come-first-served basis)	
	Up to one week	2 days
	More than a week	3 days
2.	Long-term Service	
	Intimation regarding feasibility of access without system strengthening	30 days
	Intimation of results of studies for system strengthening with cost estimates and completion schedule	90 days

(ii) Day ahead transactions:

- (a) The advance payment of transmission charges, operating charge and application fee shall not be insisted upon. These payments can be made within 3 working days of making of application.
- (b) A composite request for open access and scheduling shall be sent to the nodal Regional Load Despatch Centre through the State Load Despatch Centre concerned latest by 3.00 PM. The nodal Regional Load Despatch Centre shall take steps to incorporate the request for open access in the schedules to be issued by the Regional Load Despatch Centres concerned, if the request can be accommodated without causing congestion.
- (c) A composite request for open access and scheduling to utilise surpluses known after issuance of the first despatch schedule by Regional Load Despatch Centres at 5.00 PM, must be submitted to the nodal Regional Load Despatch Centre latest by 10.00 PM or preferably earlier. The nodal Regional Load Despatch Centre shall endeavour to incorporate the same in the revised despatch schedule to be issued by the Regional Load Despatch Centres concerned, if the request can be accommodated without causing congestion.

(iii) Same Day transactions

- (a) The advance payment of transmission charges, operating charge and application fee shall not be insisted upon. These payments can be made within 3 working days of making of application.

- (b) In the event of emergency, the beneficiaries/buying utility may locate a source of power to meet short-term emergency requirement on the same day and forward request for open access to the nodal Regional Load Despatch Centre through the concerned State Load Despatch Centre. The Regional Load Despatch Centres shall endeavour to accommodate such emergency requests as soon as and to the extent practically feasible.

Curtailment Priority

23. When because of transmission constraints or otherwise, it becomes necessary to curtail the transmission service of the transmission customers, the short-term customers shall be curtailed first followed by the long-term customers:

Provided that within a category, all users shall have same curtailment priority and shall be curtailed pro rata to the allotted transmission capacity in the case of long-term customers and the reserved transmission capacity in the case of short-term customers.

Transmission Charges for short-term customers in case of curtailment

23A. In case of curtailment of more than 50% of the reserved transmission capacity by the Regional Load Despatch Centre on any particular day on account of transmission constraints, the transmission charges for that day shall be payable by the short-term customers on *pro rata* basis in accordance with the transmission capacity actually provided.

Commercial Conditions**24. (i) Short-term customers**

(a) The transmission charges and operating charge shall be paid to the nodal Regional Load Despatch Centre on monthly basis.

(b) Advance payment for one month or period of access, whichever period is shorter, shall be made within three working days of grant of access.

(c) Subsequent payments shall be made at least one day before beginning of next month.

(d) Payment shall be made either through cheque/demand draft payable at the location of the nodal Regional Load Despatch Centre or through electronic transfer.

(e) If duration of access granted exceeds one month, the short-term customer shall provide an irrevocable back up letter of credit within seven days of commencement of open access.

(f) In case of non-receipt of payment within the period specified in clause (b) or (c) above, the nodal Regional Load Despatch Centre shall, in its discretion, have the right to invoke the letter of credit or cancel the reserved transmission capacity.

(ii) Long-term customers

The commercial conditions for the long-term customer shall be same as applicable to the existing beneficiaries.

Special Energy Meters

25. The Special Energy Meters shall be installed by the Central Transmission Utility for and at the cost of the direct customers and by the concerned State Transmission Utility for and at the cost of the embedded customers.
26. The Special Energy Meters installed shall be capable of time differentiated measurements (15 minutes) of active energy and voltage differentiated measurement of reactive energy as specified by the Central Transmission Utility or the Regional Load Despatch Centre.
27. The Special Energy Meters shall be always maintained in good condition.
28. The Special Energy Meters for the direct customer shall be open for inspection by any person authorised by the Central Transmission Utility or the Regional Load Despatch Centre.

Energy losses

29. The transmission customers shall bear average energy losses in the transmission system as estimated by the Regional Load Despatch Centre and the State Load Despatch Centre concerned. The energy losses in the transmission system shall be compensated by additional injection at the injection point(s). The information regarding average energy losses for the previous 52 weeks shall be posted on the website of the Regional Load Despatch Centres and the State Load Despatch Centres.

Compliance of Grid Code

30. The open access customers shall comply with the provisions of the Grid Code in force from time to time.

Collection and Disbursement of charges

31. (i) The transmission charges in respect of the long-term customers shall be payable directly to the respective transmission licensee.
- (ii) The operating charge and the transmission charges payable by the short-term customers shall be collected and disbursed by the nodal Regional Load Despatch Centre.
- (iii) In case the transmission system owned by the State Transmission Utility is internalised, the transmission charges under Regulation 16 of these regulations and the operating charge payable under clause (i) of Regulation 17 to be collected by the nodal Regional Load Despatch Centre, shall not include the charges for the transmission system owned by the State Transmission Utility and operating charge payable to the State Load Despatch Centre.
- (iv) The collection and disbursement of the unscheduled inter-change charges and the reactive energy charges shall be governed in accordance with the procedure and methodology specified by the Commission from time to time.

Information System

32. Each Regional Load Despatch Centre and State Load Despatch Centre shall post following information on their websites in a separate web-page titled "Open access information" :

- (i) Floor rate in rupees per MW per day for the short-term customers (ST_RATE) for each - (a) regional system; (b) inter-regional link, and (c)

system of the State Transmission Utility or the State Electricity Board or any other transmission licensee with detailed calculations in support of such rate in respect of all the transmission licensees situate within the region or the State concerned;

- (ii) A status report on the current short-term customers indicating:-
- (a) Name of customer;
 - (b) Period of the access granted (start date and end date);
 - (c) Point(s) of injection;
 - (d) Point(s) of drawal;
 - (e) Transmission systems used (in terms of region and ownership);
 - (f) Reserved transmission capacity; and
 - (g) Applicable rate (Rs per MW per day).

Note

The status report shall be updated upon every change in status.

- (iii) Month-wise and year-wise report on past short-term customers indicating:
- (a) Name of the customer;
 - (b) Period of the access granted (start date and end date);
 - (c) Point(s) of injection;
 - (d) Point(s) of drawal;
 - (e) Transmission systems used (on the basis of region and ownership);
 - (f) Reserved transmission capacity;
 - (g) Applicable rate (Rs per MW per day); and
 - (h) Actual load factor.

Note

All previous reports shall also be available in the web-archives.

- (iv) Information regarding usage of the inter-regional links and the interface between the Central Transmission Utility and state systems (in case of the Regional Load Despatch Centre) and inter-state links (in case of State Load Despatch Centre) indicating:

- (a) Time of updating;
- (b) Name of the link;
- (c) Total transmission capacity of the link;
- (d) Scheduled capacity use (giving customer-wise break-up); and
- (e) Current capacity of the link in use.

Note

This information should be updated at least on hourly basis, and where ever feasible on 15 minute basis.

- (v) The information regarding average energy losses for the previous 52 weeks.

33. The publication of the web-based information system shall commence within 30 days from the date of commencement of these regulations in case of the Regional Load Despatch Centres and within 180 days from the date of commencement of these regulations in case of the State Load Despatch Centres. Each transmission licensee shall make available the above information to the Regional Load Despatch Centre or State Load Despatch Centre concerned.

34. All transmission licensees shall declare current long-term customers using their system (including self-use and use by unbundled agencies which were previously integrated) with details thereof either on their own websites or on the website of the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre concerned, within 180 days from the date of commencement of these regulations.

Note

This list shall be updated as and when change in status takes place.

Redressal Mechanism

35. All complaints regarding unfair practices, delays, discrimination, lack of information, supply of wrong information or any other matter related to open access in inter-state transmission shall be directed to the Member Secretary, Regional Electricity Board or Regional Power Committee, as the case may be, of the region in which the authority against whom the complaint is made, is located. The Member Secretary, Regional Electricity Board or the Regional Power Committee, as the case may be, shall investigate and endeavour to resolve the grievance:

Provided that any matter which the Member Secretary, Regional Electricity Board or the Regional Power Committee, as the case may be, is unable to resolve, shall be reported to the Commission for a decision.

Coordination

36. The responsibilities assigned to the Regional Load Despatch Centres of formulation of procedures, guidelines and application forms under these regulations shall be coordinated by the Central Transmission Utility.

A. K. SACHAN, Secy.

[ADVT. III/IV/150/04-Exty.]